पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

जून 2024

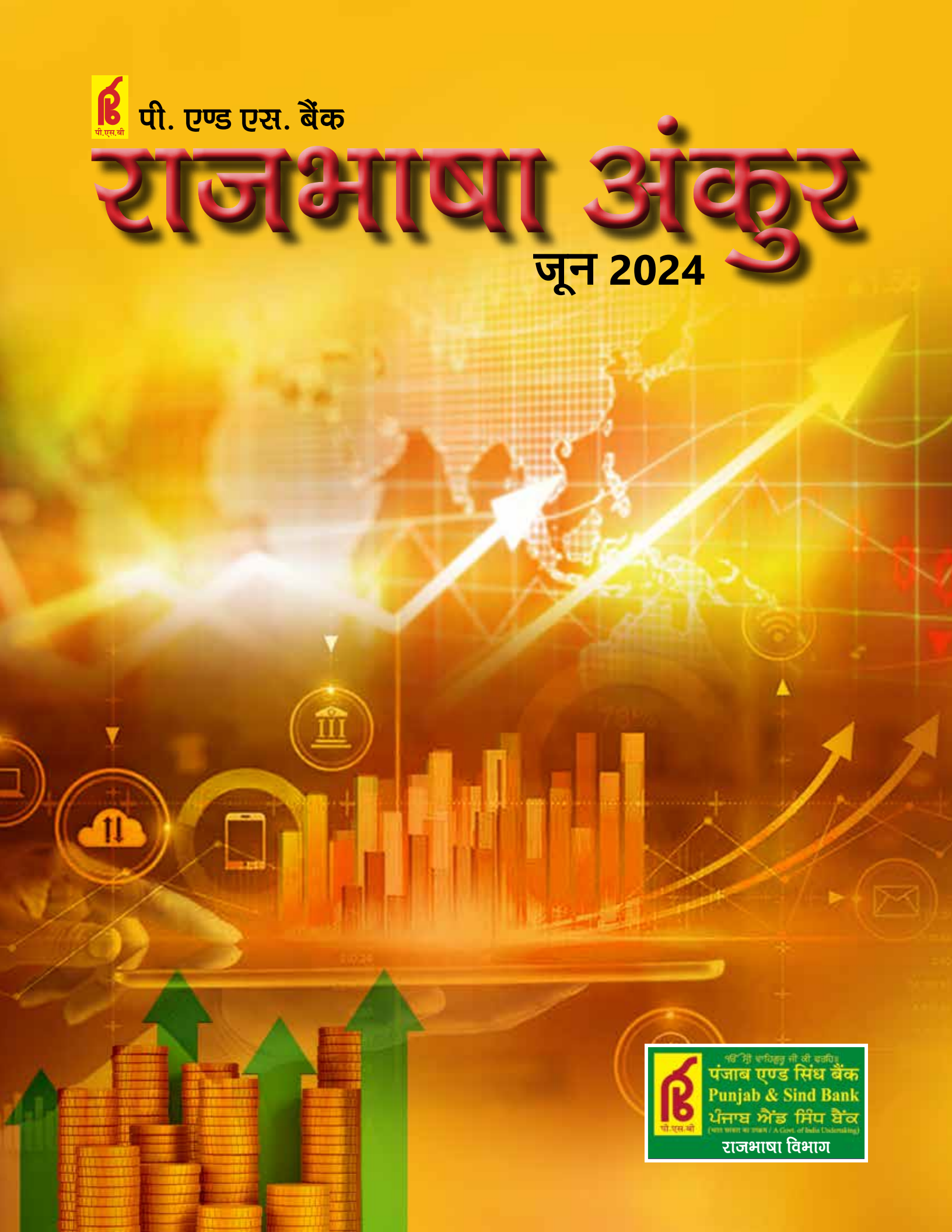

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)
राजभाषा विभाग

स्थापना दिवस समारोह 2024 - गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब

117वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक द्वारा दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में अखंड पाठ कराया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में बैंक एटीएम भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बैंक में भारत सरकार नामित सुश्री एम. जी. जयश्री, अध्यक्ष डॉ. चरन सिंह तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री स्वरूप कुमार साहा के कर कमलों से बैंक के प्रथम मोबाइल एटीएम का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री रवि मेहरा तथा अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

बैंक हाउस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

जून-2024

मुख्य संरक्षक

श्री स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक

श्री रवि मेहरा
कार्यपालक निदेशक

मुख्य संपादक

श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर
महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक व प्रकाशक

श्री निखिल शर्मा,
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल

श्री देवेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
श्रीमती भारती, प्रबंधक (राजभाषा)
श्री बिभाष कुमार, प्रबंधक (राजभाषा)
श्री रूप कुमार, राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : ho.rajbhasha@psb.co.in
पंजीकरण संख्या : एफ.2 (25) प्रैस.91

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपीराइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

मुद्रक : जैना ऑफसेट प्रिंटर्स
ए 33/2, साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
दूरभाषा संख्या 98112-69844

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल/विषय-सूची	1
2.	आपकी कलम से	2
3.	संपादकीय	3
4.	सफलता के सोपान - स्थापना दिवस विशेष	4-7
5.	शिक्षा - एक वरदान	8-11
6.	हिंदी कार्यशाला	12-13
7.	ऋण निगरानी प्रबंधन	14-16
8.	राजभाषा संगोष्ठी	17
9.	डीप फेक	18-20
10.	ग्राहक के मुख से	21
11.	स्थापना दिवस समारोह	22-23
12.	अजगैबीनाथ-सुल्तानगंज से देवघर बैद्यनाथ	24-27
13.	काव्य-मंजूषा	28-29
14.	विपश्यना	30-33
15.	सेवानिवृत्ति	34
16.	राजभाषा उपलब्धि	35
17.	वित्तीय समावेशन और भारतीय भाषाएं	36-39
18.	जीवन दर्शन	40-41
19.	सोशल मीडिया	42-44

आपकी कलम से

आपके प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित हिंदी तिमाही पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का मार्च, 2024 नारी शक्ति विशेषांक इस कार्यालय को प्रेषित करने के लिए मेरी ओर से धन्यवाद स्वीकार करें। इस अंक में विशेष रूप से श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा लिखित 'भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का समीकरण', साथ ही 'भारत की राजभाषा में लिपि विमर्श', 'श्री क्षेत्र पंढरपुर', 'मुक्ति' तथा 'साइबर सुरक्षा: चुनौतियां एवं समाधान' उत्कृष्ट लेख हैं। साथ ही 'बेटी', 'कुछ रह तो नहीं गया' और 'पूर्वजों की जमीन' निश्चित रूप से प्रेरणादायक हैं। इस अंक में सचित्र महत्वपूर्ण जानकारियां उत्कृष्ट लगी। इस अंक में आपके प्रतिष्ठान की संक्षिप्त किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी समाहित की गई है। पत्रिका के आवरण पृष्ठ एवं सभी चित्रमय सूचनात्मक गतिविधियां भी अत्यंत आकर्षक हैं। पत्रिका का संपादन निश्चित रूप से सराहनीय है।

मैं, संपादक समिति को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि इसी तरह आपके कुशल नेतृत्व में नई-नई विधाओं के अंक आपके प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते रहेंगे। निश्चित रूप से यह अंक संग्रहणीय है। पत्रिका के संपादक मंडल को हार्दिक बधाई।

-हरीश सिंह चौहान
सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) एवं कार्यालयाध्यक्ष
क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य)
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

बैंक की तिमाही हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का मार्च 2024 ***नारी शक्ति विशेषांक*** प्राप्त हुआ। इसके लिए आपका आभार! पत्रिका में नारी शक्ति को समर्पित लेख व कविताएं, बड़े ही मनोयोग से लिखे गए हैं। इसमें भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का समीकरण लेख बहुत ही ज्ञानवर्धक है।

बैंकिंग के क्षेत्र में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, भाषा के द्वारा ही सामान्य जन को बैंकिंग के आधारभूत ढांचे से जोड़ा जा सकता है, इस दृष्टि से बैंक की यह पत्रिका महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। राजभाषा अंकुर के इस अंक के लिए संपूर्ण संपादक मंडल को मेरी ओर से बधाई। पत्रिका की अनंत प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

-अक्षित चौधरी
आंचलिक प्रबंधक देहरादून

बैंक की तिमाही हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का मार्च-2024 अंक प्राप्त हुआ, जिसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद! पत्रिका में प्रकाशित सामग्री हमेशा की तरह बहुत ही आकर्षक एवं प्रेरणादायक लगी। पत्रिका में प्रकाशित विषयों जैसे भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का समीकरण, भारत की राजभाषा में लिपि-विमर्श, डिजिटल साक्षरता के माध्यम से बैंकों में जोखिम प्रबंधन, साइबर सुरक्षा : चुनौतियाँ एवं समाधान, वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था आदि रचनाओं ने हृदय में विशेष स्थान बनाया। इसके अतिरिक्त काव्य-मंजूषा के अंतर्गत प्रकाशित कविताएं बहुत ही सुंदर लगीं। पत्रिका में प्रकाशित छायाचित्रों के माध्यम से बैंक के प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न अंचल कार्यालयों में हो रही राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है।

पत्रिका के सफल प्रकाशन एवं इस पत्रिका के माध्यम से बैंक को प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों हेतु पत्रिका के संपादक मंडल/ प्रकाशक को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।

-तारा चंद मीणा
आंचलिक प्रबंधक बरेली

हमारे बैंक की गृह-पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का नारी शक्ति विशेषांक मार्च, 2024 प्राप्त हुआ। पत्रिका में ऐसे विषयों का समावेश किया गया है जो अत्यंत ज्ञानवर्धक और रोचक हैं जैसे – लोकतंत्र में महिलाओं का समीकरण, बैंकिंग विषयों में डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा व अन्य साहत्यिक कविताएं इत्यादि। विभिन्न विधाओं का समावेश पत्रिका को अंक दर अंक बेहतर कर रहा है। पत्रिका के विभिन्न विषयों पर चयनित लेख ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करते हैं। 'राजभाषा अंकुर' पत्रिका के माध्यम से हम अपने स्टाफ सदस्यों की लेखनकला और उनके विचारों से परिचित हो रहें हैं तथा पत्रिका इन विचारों का आदान-प्रदान का एक बेहतर माध्यम बनकर भी उभर रही है।

पत्रिका में एक और अच्छी पहल यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं की रचनाओं को हिंदी अनुवाद सहित जगह दी जा रही है। वास्तव में प्रादेशिक व क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पत्रिका के समस्त लेखकगण अपनी रचनाओं के लिए प्रशंसा के योग्य हैं।

पत्रिका के प्रकाशन और सफल संपादन के लिए संपादक मंडल के समस्त सदस्य बधाई के पात्र है। मैं, राजभाषा पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

-सतबीर सिंह
आंचलिक प्रबंधक, लखनऊ

संपादकीय

सुधी पाठकगण,

24 जून, बैंक के लिए गौरवमय दिवस है। इसी दिन वर्ष 1908 में तीन महान दूरदर्शी व्यक्तियों डॉ. भाई वीर सिंह जी, सर सुंदर सिंह मजीठिया जी और सरदार तरलोचन सिंह जी ने समाज के निम्न वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से हमारे पवित्र बैंक की स्थापना की थी।

बैंक के प्रथम स्थापना दिवस से ही पीएसबी परिवार ने अपनी एतिहासिक यात्रा जारी रखी है, विभिन्न मानक स्थापित किए हैं और अनेक चुनौतियों का सामना किया है। हमारा बैंक, तकनीकी सुधार के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक सुविधा में वृद्धि हो रही है, श्रेष्ठतर और अधिक वैयक्तिगत सेवाएं प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक का शुद्ध लाभ ₹595 करोड़ रहा तथा निवल एनपीए अनुपात 1.84 प्रतिशत रह गया है। ग्राहकों के अनुरूप वित्तीय उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। हाल ही में बैंक ने अनेक योजनाएं यथा विशेष दिवस सावधि जमा, पीएसबी गौरव बचत, शुभ आरंभ चालू खाता, रेरा प्लस चालू खाता, पीएसबी कार्यपालक एसबी सैलेरी प्रोडक्ट, पीएसबी होम लोन प्लस, पीएसबी नेस्ले डेयरी लोन प्लस, पीएसबी धन कुबेर इत्यादि आरंभ की गई हैं। इनके अंतर्गत ग्राहकों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी है। हमारा ऑनलाइन बैंकिंग एप्लिकेशन 'पीएसबी यूनिक' पूरे देश में हमारे ग्राहकों के एक विशाल वर्ग को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

बैंक एक वित्तीय संस्था है जिसका लक्ष्य लाभार्जन के साथ-साथ सामाजिक उत्थान में भी योगदान करना है। इस स्थापना दिवस के दौरान बैंक का ध्येय रहा कि समाज के जरूरतमंद वर्ग को सहयोग प्रदान किया जाए। बैंक ने अपनी शाखाओं तथा आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से देश के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों व गुरुद्वारों में वाटर कूलर स्थापित कराया है तथा दिव्यांगजनों को व्हील चेयर व स्टीक का वितरण किया गया। साथ-साथ बैंक परिसरों में छबील व लंगर का भी आयोजन किया गया।

पत्रिका में बैंक स्थापना दिवस से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के साथ समसामयिक विषयों को समाहित किया गया है जिसमें बैंक की मूल संस्कृति से आपको परिचित होने का अवसर प्राप्त होगा। बैंक अपने मिशन वक्तव्य "सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय" के लिए पूर्णरूप से समर्पित होकर कार्य-निष्पादन को गति दे रहा है। मुझे विश्वास है कि पीएसबी परिवार के प्रत्येक सदस्य के सम्मिलित प्रयास से हमारे बैंक का भविष्य, निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। बैंक के 117वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं, बैंक के समस्त हितधारकों का उनके निरंतर सहयोग व संरक्षण के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

पुनः स्थापना दिवस की शुभकामनाएं!

(गजराज देवी सिंह ठाकुर)
महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

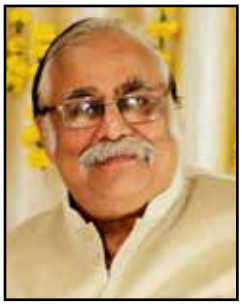

सफलता के सोपान

– स्थापना दिवस विशेष

वी. एस. मिश्रा

24 जून, वैसे तो एक तारीख है जो हर वर्ष आती है लेकिन हमारे बैंक के लिए यह तारीख एक उत्सव है। इस दिन हम उन मनीषियों और कर्मवीरों को याद करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनके दृढ़ संकल्प का जीवंत प्रतीक है हमारा बैंक। इतिहास के विशेषज्ञ जानते हैं कि बीसवीं सदी का प्रथम दशक भारत में आजादी की लड़ाई, गुलाम भारत में भारतीयता के लिए आग्रह और देशवासियों में परतंत्रता की बेड़ी तोड़ने के लिए संकल्पित सपूतों के आत्मोसर्ग की भावना के अतिरेक से परिपूर्ण था। इसी काल में ठेठ देशी सरोकारों जिससे किसानों, छोटे व्यापारियों और गाँव-देहात के विकास की इबारत लिखने का पुनीत संकल्प लेकर हमारे बैंक का गठन होता है और आजादी की ज्वाला जो चतुर्दिक फैलकर देशवासियों के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक उत्थान के लिए उत्सर्ग का आह्वान कर रही थी, उसी कड़ी में हमारे बैंक ने लोगों की सेवा का व्रत लिया ताकि माँ भारती के सपूत आत्मनिर्भर बनकर देश सेवा में जुट जाएं। इतने पवित्र और क्रांतिकारी संकल्प का प्रतिसाद है कि आज भी हमारा बैंक उस गौरवशाली परंपरा के साथ अग्रसर है। किसी भी संगठन मे इतनी लंबी अवधि में उतार-चढ़ाव का सिलसिला तो होता ही है। कभी प्रगति के सोपान गढ़े गए तो कभी वह दिन भी आया जब बैंक को लगातार हानि का सामना करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस गौरवपूर्ण गाथा का पटाक्षेप तो आसन्न नहीं है किंतु जिस संस्था के उत्स में संकल्प, उत्सर्ग और सेवाभाव के सद्गुण सन्निहित हो उसे समय का तूफान हिला नहीं सकता। यह सही है कि प्रतियोगी बैंकों की शाखा बहुत अधिक रही और हमारे बैंक को छोटा ही माना जाता रहा। कम शाखाओं के बावजूद हमारा बैंक "नानक नन्हें ही रहो, जैसे नन्हीं दूब। बड़े-बड़े बही जात हैं, दूब खूब की खूब।।" को चरितार्थ करते हुए बिहारी कवि के 'नावक के तीर' की तरह लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहा। चौबीस जून उन तमाम कहानियों को जानने, समझनें और आत्मसात करने का दिवस है जिनके प्रतिफल के रूप में बैंक से जुड़े हजारों कार्मिक, लाखों ग्राहक आज खुशहाल ज़िंदगी का आनंद लें रहे हैं।

कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब आत्म-निरीक्षण करते हुए एवं भविष्य की योजनाओं के साथ, परिवेश के परिवर्तनशील स्वरूप को समझते हुए दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। यही दृष्टिकोण सतत विकास को प्रेरित भी करता है और उस दिशा में किए गए प्रयास को अनुप्राणित भी करता हैं। बैंक का वार्षिक उत्सव इस आत्म प्रेक्षण के लिए सही अवसर है क्योंकि मंगलमय वातावरण ही सकारात्मक सोच को बल प्रदान करता है और इस विशिष्ट एतिहासिक दिन से अधिक मंगलमय क्या हो सकता है। आज हम तकनीकी प्रगति से बैंकिंग के क्षेत्र में सर्वथा नवीन उत्पाद के साथ सुसज्जित हैं। ग्राहकों के विशिष्ट वर्ग की मांग भी यही है क्योंकि नए युग में बैंक जाकर अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए मांग करना इस वर्ग को समय व्यर्थ करने जैसा लगता है। हमारी बैंकिंग प्रणाली ने भी कुछ ऐसा ही विचार किया है कि ग्राहकों को घर बैठे सभी सुविधाएं मिलती रहे। डिजिटल इंडिया की मजबूत अवधारणा, उपलब्ध तकनीक, नवीन उत्पाद और तकनीक से उत्पन्न कार्यशैली में त्वरण स्वागत योग्य है परंतु हमारा देश विशाल है और साक्षरता की रूढ़िगत परिभाषा के बावजूद मात्र 73 प्रतिशत साक्षरता और महिला वर्ग में उससे भी कम साक्षरता ऐसा यथार्थ है जिसे नकारा नहीं जा सकता। ग़रीबी, बेरोजगारी और कौशल का अभाव अभी भी आर्थिक चुनौतियां हैं। प्रश्न यह है कि एक विशेष वर्ग की परिस्थिति के अनुसार कार्यशैली में सुधार हो या बहुसंख्यक

लोग-बाग के लिए भी बैंक की कोई भूमिका है। उत्तर आसान है, समावेशी विकास के लिए, जनता के प्रत्येक वर्ग के लिए, बैंकों की तकनीक आधारित सोच को नए आयाम की जरूरत है। एक पुरानी कहावत है "जान भी जहान भी"। बैंकों के लिए जान का अभिप्राय है निरंतर तकनीकी प्रगति और जहान का अभिप्राय है सामाजिक मनोवैज्ञानिक की अवधारणा।

आज का युग, तकनीक का युग है। सूचना तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि के क्षेत्र में अविश्वसनीय विस्तार हुआ है और यह माना जाता है कि जो इस तकनीक को अपनाने के क्षेत्र में आगे रहेगा, वही टिकेगा। बात सही भी है क्योंकि जिस गति से तकनीक के नए आयाम सामने आ रहे हैं और जैसे-जैसे सुविधाओं का सृजन हो रहा है, इस पक्ष की अनदेखी आत्मघाती होगी लेकिन हमारे पुराने साथियों को याद होगा कि कुछ वर्षों के लिये हमारे बैंक की तकनीकी प्रगति अन्य बैंकों की तुलना में उतनी प्रतिस्पर्धी नहीं थी। साथ ही यह भी याद होगा कि इस काल में भी हमारे ग्राहकों ने हमारी क्षमता पर विश्वास कायम रखा और हमारे बैंक की व्यावसायिक प्रगति बनी रही। कारण था हमारी कार्यशैली का, सेवा भाव का मानवीय चेहरा। यही मानवीयता हमारी धरोहर है जो आगामी काल में भी हमारे लिए संबल बना रहेगा।

स्थापना दिवस के संदर्भ में यह समझना और भी समीचीन है कि जब तकनीक आदि का इतना ज़ोर नहीं था, तब भी हमारे बैंक की प्रगति और यश, प्रतिस्पर्धी बैंकों के लिए पहेली थी। वर्ष 1960 से 1980 के बीच दो दशकों में हमारे बैंक ने प्रगति के सभी प्रतिमानों को साकार कर दिखाया और एक ऐसी संस्था जिसने देश के बंटवारे में अपना कार्यक्षेत्र, शाखाएं, व्यवसाय आदि खो दिया था, तेजी से आगे बढ़ी। वर्ष 1980 में बैंक का सरकारीकरण हो गया तथा हम राष्ट्रीयकृत बैंक के नए स्वरूप, नई पहचान और अपनी चिर-परिचित सेवा संस्कृति के साथ देश-सेवा के लिए बढ़ चले। तकनीक अपनाने के दृष्टिकोण से भी हमारे बैंक के होनहार कार्मिकों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने हुनर से बैंक को नए परिवेश और नए युग में प्रवेश के लिए प्रेरित किया।

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य भी यही है कि अपनी युवा पीढ़ी को उस शाश्वत मूल्य के प्रति आग्रही बनाया जाए जो तब भी सफलता की गारंटी थी जब तकनीक का स्तर आज की तरह उपयोग में नहीं था और तब भी रहेगा जब तकनीक का चमत्कार मानवीय सोच या प्रयास से बहुत दमदार होंगे क्योंकि बैंक मूलतः एक

सामाजिक और मानवीय संस्था है जिसके आधारभूत मूल्य, मानवीय भावनाओं से आप्यायित हैं। तकनीक गति दे सकती है, बहुत सी जरूरतों को आसान बना सकती हैं किंतु वह उन भावनाओं को संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती जिसकी अपेक्षा एक बैंक का ग्राहक अथवा बैंक से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, बैंक से रखता है। दुनिया के बड़े-बड़े बैंक जो पूर्णतः स्वचालित प्रणाली पर आधारित थे, परिस्थिति में सामान्य अथवा असामान्य बदलाव के सामने पंगु हो गए, जैसा कि वर्ष 2008 में हुआ था। असामान्य परिस्थिति में उसके अनुसार रणनीतिक परिवर्तन करना मानव मस्तिष्क के लिए ही संभव है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सैमुयलसेन ने अंग्रेजी में कहा था "An auto pilot can keep airplane pretty stable in the sky but when something unusual comes up, manual pilot must take over" यह कथन अर्थव्यवस्था के संचालन के संदर्भ में था पर बैंक के संदर्भ में भी सटीक है। तकनीक के क्षेत्र में नवाचार का कोई अंत नहीं है और प्रत्येक नवीन आविष्कार मनुष्य का मशीनों पर निर्भरता बढ़ाता जाता है। तुरंत परिणाम के लिए बेचैनी में हम यह विस्मृत कर देते हैं कि ईश्वर द्वारा निर्मित मानव-मस्तिष्क में अपार क्षमता संग्रहित हैं। आखिर मशीनों को बनाया इंसानों ने ही है।

बैंक प्रधानतःएक सामाजिक संस्थान है और समाज के आर्थिक सरोकारों से सीधे तौर पर बैंक, अपनी प्रकृति के अनुसार, समाज से जुड़ा हुआ है। समाज और विशेषकर भारतीय समाज का

बहुरंगी स्वरूप बैंकों को अपनी कार्य प्रणाली में वैविध्य, नूतन प्रयोग और पारदर्शिता का समावेश कर सामाजिक व्यवस्था से जैविक रूप में जुड़ने की क्षमता का विकास कर सकता है और व्यवसाय के क्षैतिज विस्तार के लिए यह कारगर उपाय है। लोग ना जुड़े तो बैंक कैसा होगा। लोग जुड़ेंगे तो बैंक में उनकी आवश्यकता के अनुसार हल भी होना चाहिए। यह तब होगा जब तकनीक की जगह सामाजिक मनोविज्ञान में बैंक के कर्मचारी, अधिकारी पारंगत हो। चिकित्सक हजारों निदान परीक्षण से मरीज की बीमारी को समझ पाता है लेकिन उसके इलाज के लिए उसे अपने अनुभव का सहारा ही लेना पड़ता है। ठीक वैसे ही तकनीक, कम्प्यूटर आपके लिए सूचनाओं का जुगाड़ कर सकते हैं परंतु उसके हल के लिए अंततः मानव मस्तिष्क ही सक्षम होता है। इसलिए प्रशिक्षण के माध्यम से एक ओर तकनीकी क्षेत्र में निष्णात होना तो जरूरी है ही, साथ ही सामाजिक मनोविज्ञान, अनुभवों की साझीदारी, वर्ग चेतना और सही गलत में विभेद करने की क्षमता का विकास भी प्रशिक्षण की विषय-वस्तु होनी चाहिए। आधुनिक प्रबंधन विज्ञान का सिद्धांत भी वैचारिक श्रेष्ठता की महत्ता को स्वीकार करता है।

सामाजिक मनोविज्ञान की अनुषंगी शाखा के स्वरूप में आधुनिक प्रबंधन विज्ञान में 'सावेगिक बुद्धि' को मानवीय समस्याओं के निराकरण के दृष्टिकोण से एक सफल युक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। बैंक जैसी संस्था जहां लोगों का सरोकार ही व्यवसाय का मजबूत आधार होता है, बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सावेगिक बुद्धि का विकास उनके कार्यभार को सहज भी करनें में सक्षम हैं और उनकी प्रबंधकीय योग्यता को निखारने में भी। किसी भी कार्य के लिए, समस्या के निदान के लिए, लोग-बाग की जरूरतों के आकलन के लिए और ग्राहक संतुष्टि के लिए कार्य, समस्या, अपेक्षा की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना अति आवश्यक है और यह मशीनीकरण की वस्तुनिष्ठ व्याख्या से अधिक व्यक्तिनिष्ठ उपादानों से बेहतर हो सकता है।

अनुभव और ज्ञान के संगम से ही ऐसी प्रतिभा का विकास हो सकता है जो किसी भी अपेक्षा का विश्लेषण कर उसके प्रभावी प्रबंधन का आधार बने। एक पुरानी कथा है कि "एक राजा थे। उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने राजकुमार को शासन और जनहित प्रबंधन में निष्णात बनाने के लिए वन में भेज दिया। एक वर्ष के उपरांत राजकुमार के वापस आने पर राजा ने उनसे अपने अनुभव और

सीख के विषय में पूछा। राजकुमार ने बाघ, हाथी, भालू आदि की आवाज निकालकर सुनाई। राजा ने राजकुमार को वापस वन भेज दिया। फिर एक वर्ष बीता। राजकुमार वापस लौटे और राजा ने पुनः परीक्षा ली। इस बार राजकुमार ने छोटे-छोटे वन्य प्राणियों, पक्षियों की ध्वनि, जंगल में बारिश के बूंदों के टपकाने की आवाज सुनाई। राजा इस प्रगति से प्रसन्न थे पर राजकुमार को फिर जंगल में भेज दिया। तीसरी बार वापस आकर राजकुमार के मनोभाव में स्थिरता, चेहरे पर ओज दिखा और उन्होंने स्वयं बताया कि अब वह बीज से अंकुरण की ध्वनि समझ सकते हैं। कलियों के खिलने की, स्तब्ध रात्रि में वन के प्रच्छन्न गतिशीलता को समझ सकते हैं। राजा ने राजकुमार के लिये गद्दी खाली कर दी।"

इस कथा का सारांश है कि जिनको सामाजिक परिवेश में आंतरिक प्रबंधन अथवा ग्राहक सेवा अथवा संस्था विशेष के कार्यकलाप में निष्णात होना हो, उसे कही गई बात से अधिक अनकही बात को समझना चाहिए। कथ्य स्पष्ट होता है, अकथ्य में भावनाएं नीहित होती हैं।

आशय है कि तकनीक मात्र कथ्य और स्पष्ट व्याख्या जो गणितीय आंकड़ों के रूप में हो अथवा निवेदन या आवेदन में वर्णित विषय हो, का विश्लेषण मशीनी माध्यम से किया जा सकता है पर इन सूचनाओं की पृष्ठभूमि में जो अकथ्य या वर्णित नहीं होता है वह भी किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए आवश्यक होता है। अंततः किसी भी प्रयास की सफलता का आकलन परिणाम पर आधारित होता है। प्रयास सकारात्मक हो पर परिणाम अनुकूल न हो तो प्रयास में सुधार की आवश्यकता होती है। बैंक में इतने कर्मचारी, अधिकारी, उच्च प्रबंधन सभी का प्रयास उच्चतम लाभ की स्थिति, बैंक से जुड़े सभी हितग्राहियों के लिए सकारात्मक परिणाम

और सतत विकास की स्थिति के लिए उन्मुख होता है और होना भी चाहिए। इसके लिए उसे अपने संसाधनों का बेहतरीन और अनुकूलतम प्रयोग पहली जरूरत है। दूसरी अनिवार्यता इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्देश की स्पष्टता और व्यावहारिकता है। तीसरी जरूरत है मानव संसाधन की ज्ञान संपन्नता और इसके दो आयाम हैं : प्रथम, अधुनातन तकनीक के साथ जुड़ाव और उसके अनुप्रयोग की क्षमता का विकास। ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल धनुर्धर अपने तरकश के बाणों के यथास्थिति उपयोग को जानता है और लक्ष्य संधान करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए आयाम, मानवीय विश्लेषण क्षमता को धारदार बनाने के लिए आवश्यक है और फिर इससे कार्य क्षमता को त्वरित करना भी संभव होता है। कार्य की बारंबारता की नीरसता को भी तकनीक के द्वारा समाप्त किया जा सकता है लेकिन सामाजिक मनोविज्ञान, सावेगिक बुद्धिमत्ता, परस्पर विचार-विनिमय बैंकिंग प्रणाली को और भी मजबूत बनाएगा। एक ग्राहक के साथ विनिमय संबंध की मजबूती के लिए जिस विश्वास की आवश्यकता होती है, वह मशीन से अधिक मानवीय सद्गुणों के द्वारा ही पोषित होता है। उदाहरण के लिए किसी ऋण प्रस्ताव को ही ले लीजिए। तमाम वित्तीय आंकड़ों का ठोस विश्लेषण, उनका वाणिज्यिक महत्व और व्यवसाय के भविष्य के विषय में तकनीक की सहायता से जानकारी मिल सकती है पर व्यक्ति विशेष का उस व्यवसाय में अनुभव, व्यवसाय में उत्पन्न होने वाले जोख़िम, व्यवसाय के प्रति जागरूकता आदि के विषय में जानकारी तो परस्पर विचार के माध्यम से ही संभव है और यहां आवश्यक है कि प्रस्तावक के साथ एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग, तर्क, वितर्क, संभावित परिस्थितियों का आकलन के लिए मूलभूत मानवीय विश्लेषण का सहारा लिया जाए। तब जाकर ऋण प्रस्ताव को समग्रता से विश्लेषित करते हुए जोखिम को न्यूनतम किया जा सकेगा।

आज अनिवार्यता है कि बैंक की आधारभूत मूल्यों के सशक्तिकरण के लिए वैचारिक नवाचार पर ज़ोर दिया जाए। ग्राहकों की अपेक्षाओं का पूर्वानुमान, आंतरिक प्रणाली की मजबूती के लिए मानवीय विश्लेषण क्षमता का परिमार्जन, संवर्धन और प्रबंधन के क्षेत्र में मानवीय पहलू का सशक्तिकरण कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें वैचारिक नवाचार के लिए कोशिश होनी ही चाहिए। बैंक में जमा, ग्राहक की संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक प्रणाली कितनी सुरक्षित है जो परिश्रम से अर्जित किए उसके धन को सुरक्षित भी रखता है और उसमें वृद्धि भी करता है। ऋण लेने वाले ग्राहक मानते हैं कि उसकी विधि सम्मत और व्यावसायिक आवश्यकताओं को बैंक कितने समय में पूरा करता है तथा उसके व्यवसाय में नीहित जोखिमों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण कैसा है। जो ग्राहक अपने हितैषियों को पैसा प्रेषित करना चाहते हैं उनका मानना है कि पैसा सुरक्षित और त्वरित तरीके से पहुंचे। भारत के बहुसंख्यक किसान और मजदूर वर्ग की अपनी आवश्यकताएं और अपेक्षाएं है। कुल मिलाकर जितने लोग बैंक से जुड़े होंगे, उनकी उतने प्रकार की अपेक्षाएं होंगी।

अनुभव का वृहत कोष, तकनीक की गहन जानकारी, सामाजिक प्रबंधन की शैली और मानवीय मूल्यों का निर्वहन ही बैंक प्रबंधन को पूर्णता प्रदान करता है। एक समृद्ध विरासत को नई ऊंचाई देने के लिए पूर्व की गतिविधियों का सिंहावलोकन, नए युग की तकनीकी प्रगतिशीलता, निरंतर भूल सुधार की प्रवृत्ति और नए-नए व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश, वैचारिक नवाचार इत्यादि के संगम से ही समृद्ध विरासत, महत्वाकांक्षी वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य संभव है। उन सभी विशिष्ट पूर्वज बैंक कर्मचारियों को नमन जिनकी प्रतिभा, प्रयास ने आज के कार्मिकों को प्रगति का स्वर्णिम अवसर दिया। अंततः राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की इन पंक्तियों में समाहित दिशा निर्देश को समझें–

"हम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे अभी
आओ विचारें आज मिलकर, यह समस्याएं सभी।"

-सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

डॉ. चरनजीत सिंह

शिक्षा - एक वरदान

साधारणत: जब हम दीपक जलाते हैं तो वह अँधकार को दूर कर देता है। ठीक इसी प्रकार 'शिक्षा' और 'साक्षरता' व्यक्ति के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान और अशिक्षा के अँधेरे को दूर कर देते हैं। दुनिया भर में लोगों का सामान्य अनुभव है कि लोगों को शिक्षा ज्ञानवान बनाती है। यह समाज के ग़रीब और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों को उनकी आय और कमाई की क्षमता में सुधार करने में मदद करती है। इस रूपक में अँधकार - निरक्षरता, अज्ञानता और ग़रीबी का प्रतीक है; दीपक जो कि साक्षरता, शिक्षा और लोगों के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यह संदेश हमें व्यक्तिगत रूप से और समाज के रूप में अर्थात सामूहिक रूप से अच्छी तरह समझ में आता है कि लोगों में 'निरक्षरता' स्थाई ग़रीबी का कारण है जो अक्सर सदियों और पीढ़ियों तक बनी रहती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शोध और अध्ययनों के माध्यम से अच्छी तरह से ज्ञात है कि मानवता के बड़े हिस्सों की सबसे दुर्बल करने वाली बीमारियाँ निरक्षरता से जुड़ी ग़रीबी के कारण उत्पन्न होती हैं। यह उन लोगों के लिए एक अभिशाप है जो इसमें फंसे हुए हैं और साथ ही समाज और राष्ट्रों के लिए भी पिछड़ेपन का कारक है।

साक्षरता और शिक्षा को लोगों के बड़े समूहों को ग़रीबी से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित उपाय माना गया है। बौद्धिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति इसके लिए आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिक व वैज्ञानिक 'साक्षरता' शब्द का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि इसे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले नागरिकों की संख्या से मापा जा सकता है। दूसरी ओर 'शिक्षा' एक व्यापक शब्द है और इसमें कक्षा में पढ़ाई के साथ-साथ छात्र इन संस्थानों द्वारा जो गुण आत्मसात करते हैं वे भी शामिल होते हैं। अधिकांश सार्वजनिक चर्चाओं में, साक्षरता और शिक्षा शब्दों का

आदान-प्रदान करके इसका उपयोग किया जाता है।

इस प्रकार यह स्थापित होता है कि ग़रीबी के प्राथमिक कारणों में से एक 'शिक्षा' की कमी है। पूरे विश्व में ग़रीबी और निरक्षरता एक साथ देखी जाती है वे एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। 'निरक्षरता' शिक्षा और सीखने की कमी के कारण व्यक्ति को अज्ञानता की ओर ले जाती है और यह समाज के ग़रीब वर्गों के बीच अधिकांश समस्याओं का मूल कारण है। समाजशास्त्री हमें बताते हैं कि अज्ञानता और ग़रीबी की वर्तमान स्थिति के अनुसार निरक्षरता के कारण ग़रीबी में फंसे हुए लोगों के पास लाभकारी रोज़गार के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं नहीं होती हैं न ही उनके पास अपनी और अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय होती है। उनके पास मानसिक और शारीरिक कौशल की कमी होती है और वे उद्योग और कॉरपोरेट

क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरियों के योग्य नहीं होते हैं। उनके पास केवल शारीरिक श्रम होता है और वे निम्न स्तर की असंगठित या अधिकतम अर्ध-संगठित नौकरियाँ करते हैं जिसमें भुगतान कम होता है। वे ऐसी नौकरियाँ केवल तभी कर सकते हैं जब वे शारीरिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक श्रम के लिए सक्षम हों। समाज उन्हें ग़रीब लोगों के रूप में लेबल करता है। हिंदी शब्द 'निर्धन' जिसका अर्थ है पैसा न होना, एक ग़रीब व्यक्ति का सही वर्णन करता है। ऐसे व्यक्तियों के पास नियमित वेतन वाली नौकरियाँ नहीं होतीं, जहाँ कर्मचारियों को मासिक भुगतान किया जाता है और इसलिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। वे कम मजदूरी कमाते हैं और इस कारण उनके परिवारों को अच्छे घर, स्वच्छ पानी, हवा और वेंटिलेशन, स्वच्छ पर्यावरण, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल, पौष्टिक भोजन और अच्छी स्कूली शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता। उनकी ऐसी कमोबेश स्थितियाँ अक्सर उनकी बीमारियों का कारण बनती है लेकिन उनके पास उचित इलाज के लिए क्लीनिक और अस्पतालों तक पहुँचने के लिए वित्तीय साधन नहीं होते। हमारे समाज के इस वर्ग की जीवन प्रत्याशा समाज के संपन्न वर्गों से कम होती है। ऐसे लोगों के उत्पादक वर्ष भी उन लोगों से कम होते हैं जो अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन कमाते हैं। उनमें से अधिकांश दैनिक मज़दूरी पर निर्भर होते हैं। वे मात्र उसी दिन के लिए कमाते हैं जिस दिन वे काम करते हैं। जब वे बीमार पड़ते हैं और काम नहीं कर पाते तो वे उन दिनों की कमाई खो देते हैं।

अक्सर ऐसे अनउपचारित स्वास्थ्य समस्याएं समय के साथ पुरानी और गंभीर हो जाती हैं जो उनकी काम करने की क्षमता को सीमित कर देती है जिससे उनकी आय का नुकसान होता है। ऐसे लोग समाज के हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं और उनका ग़रीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। यह विश्व के विभिन्न हिस्सों में सदियों से चली आ रही सभ्यताओं के अनुभव से देखा जा सकता है। आम अनुभव है कि "शिक्षा" – 'अज्ञानता' और ग़रीबी के खिलाफ़ एक उपाय है जो बिना किसी अपवाद के काम करता है। मानव-जाति के सभी वर्ग इस बात से सहमत हैं कि 'शिक्षा' ही ग़रीबों को ग़रीबी से बाहर निकालने का एक निश्चित तरीका है। "शिक्षा" लाभकारी रोज़गार तक पहुँच प्रदान करती है और इस प्रकार धन तक पहुँच देती है जो कि एक सभ्य समाज में जीने के लिए बुनियादी संसाधन है।

एक बार ग़रीबी से बाहर आने के बाद ऐसे व्यक्ति रोज़गार के योग्य बन जाते हैं और सम्मानजनक साधनों से अपनी आजीविका कमाने में सक्षम हो जाते हैं। "शिक्षा" के कारण ही वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होते हैं और समाज और देश के उत्पादक नागरिक बन जाते हैं। वे जिस भी काम में लगे होते हैं, उसमें राज्य के विभिन्न अंगों के स्वस्थ संचालन में योगदान करते हैं। शिक्षित लोग, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, श्रमिक, पर्यवेक्षक, अधीक्षक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद्, इंजीनियर, शिक्षक, नेता, विचारक, वकील, डॉक्टर इत्यादि बनकर समाज के सभी क्षेत्रों में विकास में योगदान करते हैं।

यह सार्वभौमिक सत्य है कि शिक्षा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। पिछले सहस्राब्दी में मानव-जाति की प्रगति और विकास संगठित प्रणाली के माध्यम से "शिक्षा" प्रदान करने से है, जो कम उम्र से शुरू होती है। अब ज्ञान को कई विभागों, विषयों और शाखाओं में विभाजित किया गया है। सदियों से शिक्षा और विज्ञान में लगातार अनुसंधान और विकास के माध्यम से मनुष्य ने चिकित्सा, गणित, भाषाएं, वित्त, बैंकिंग, खगोलशास्त्र, स्वचालन, यात्रा, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष यात्रा, कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य क्षेत्रों में प्रगति की है।

'अशिक्षा' और 'निरक्षरता' ग़रीबी का मूल कारण है। केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें तथा निजी संस्थान भी, निरक्षरों को शिक्षा प्रदान करने में निरंतर लगे हुए हैं। ऐसे कार्यक्रम जो वयस्क आबादी में साक्षरता को बढ़ावा देते हैं, जिन्होंने अपने बचपन में स्कूल नहीं देखा, जो लोग कम उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए, उनके लिए राज्य के माध्यम से 'वयस्क साक्षरता कार्यक्रम' और अवसर प्रदान किए जाते हैं। कुल मिलाकर हमारे

लोगों ने शिक्षा के लाभ और निरक्षरता की बुराइयों को समझ लिया है। सामान्य नियम के रूप में कहा जाता है कि औसतन एक शिक्षित व्यक्ति जीवन भर में एक अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में उसके पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के साथ तीन गुना अधिक कमाता है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए एक अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में बेहतर जीवन-स्तर पर जीता है। हमारे शास्त्र इस सामान्य ज्ञान को संजोते हैं जो सभी युगों में सामान्य और सत्य रहा है। ज्ञानियों और ऋषियों का निष्कर्ष है कि 'शिक्षा' एक ग़रीब व्यक्ति के लिए वित्तीय-संसाधन के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार पैसे को सर्वसाधन कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक संसाधन जो सभी अन्य संसाधनों को नियंत्रित करता है और जीवन में आने वाली अधिकांश समस्याओं का समाधान करता है। एक व्यक्ति जिसके पास पैसा होता है, वह जो भी उसे चाहिए, खरीद सकता है और इस प्रकार सभी अन्य संसाधनों को नियंत्रित करता है।

यह भी कहा जाता है कि एक विद्वान अपने देश में और विदेश में भी अपनी शिक्षा से प्राप्त ज्ञान और बुद्धि से धन कमा सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति को उसके ज्ञान के लिए हर जगह सम्मान मिलता है। यह एक स्थापित तथ्य है कि किसी भी मानव समाज को शिक्षित, बुद्धिमान और ज्ञानी विद्वानों की स्थाई आवश्यकता होती है, भले ही ऐसा व्यक्ति विदेशी हो और देशी न हो। मानव समाज में कभी ऐसा समय नहीं होता जब पर्याप्त शिक्षित लोग हों और अधिक की आवश्यकता न हो। शास्त्र यह भी बताते हैं कि शिक्षा लेना और सीखना व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होता है एक बार आर्थिक रूप से सम्पन्न होने के बाद वे उसका हिस्सा बन जाते हैं। अन्य भौतिक संपत्तियों की तरह सीख और ज्ञान चोरी नहीं हो सकते। एक बहुत मूल्यवान गुण जो हम शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि से प्राप्त करते हैं, वह है 'विवेक'। जिसके गुण के साथ हम सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जबकि एक अशिक्षित मन सही चुनाव करने में भ्रमित हो सकता है। विवेक के साथ, हम गलत निर्णय लेने और इसके कई हानिकारक परिणामों से बचते हैं। इनमें वित्तीय हानि, एक रिश्ते को ठेस पहुंचाना या यहाँ तक कि शारीरिक चोट और पीड़ा भी शामिल हो सकते हैं। गलत निर्णय के परिणाम बहुत अधिक गंभीर हो सकते हैं और अक्सर पूरी तरह से अनपेक्षित होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र तरीका-इसे शिक्षक से सीखना है।

आंकड़े भी इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं कि शिक्षा से उच्च आय, धन सृजन और संपत्ति प्राप्त होती है। वर्ष 2004-05 में भारत की राष्ट्रीय जनगणना ने हमारे जनसंख्या में विभिन्न स्तरों पर ग़रीबी का लगभग 71.4 प्रतिशत का खुलासा किया। वर्ष 2011-12 में यह संख्या घटकर 21.8 प्रतिशत रह गई। यह भी ज्ञात है कि इस अवधि के दौरान हमारे लोगों में साक्षरता-दर भी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2004 में भारतीय लोगों में साक्षरता 61% थी और 2011 में यह बढ़कर 74.04% हो गई जबकि बारह वर्षों में यह और भी कम होनी चाहिए थी। इन आंकड़ों से साफ़ दिखता है कि लोगों के बीच साक्षरता स्तर में वृद्धि होने के साथ ही ग़रीबी के स्तर में कमी हुई। साक्षरता में और सुधार हुआ है और सार्वजनिक डोमेन के अनुसार 2021 के लिए आंकड़ा 14.96% है। वर्ष 2023 के लिए साक्षरता स्तर 77.7% है। साक्षरता में सुधार और हमारे लोगों की वित्तीय कमाई में सुधार के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित है जो लोगों को ग़रीबी से बाहर निकालता है और उन्हें मध्यम आय वर्ग में डालता है। ये सांख्यिकियाँ कुछ ऐसी बातें छुपा लेती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। इतनी बड़ी संख्या में अपने लोगों को ग़रीबी से बाहर निकालने का मतलब है कि उनके पास परिवार के लिए अधिक पैसे की पहुँच हो गई है। यह सुधारी हुई वित्तीय संसाधनों की पहुँच व्यक्ति और परिवार को बेहतर शिक्षा और युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा, उच्च-शिक्षा की पहुँच बेहतर पेशेवर प्रशिक्षण, बेहतर नौकरी के अवसर, बेहतर पोषण, स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्थितियाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहुँच और जब आवश्यक हो, क्वालिफाइड मेडिकल सहायता और मदद की अधिक सुविधा की ओर ले जाएंगी।

एक परिवार जब ग़रीबी के दायरे से बाहर निकलता है तो यह अपने युवाओं को शिक्षित करने के लिए अपने प्रयासों को दुगना करता है और सुनिश्चित करता है कि यह बेहतर जीवन की ओर निरंतर अग्रसर रहे। हमने अब तक समाज के निचले पायदानों के लोगों के लिए मौलिक शिक्षा के लाभ देखे हैं। यह आवश्यक भी है, लेकिन एक विकासशील और आकांक्षी राष्ट्र के रूप में, यह पर्याप्त नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में, हमें शिक्षा के सभी विभागों में उत्कृष्टता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे छात्रों को भी अपने शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता है। उच्च-शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश करना और औसत प्रदर्शन देना युवा और समाज के समूचे पोटेंशियल को नहीं छूता है, न ही समाज

और राष्ट्र को। इसे बेशकीमती तरीके से पूरा करना सबसे बड़ा मौलिक और आवश्यक उद्देश्य है। हमें इस प्रयास में बड़े हिस्से में सफ़लता मिली है, हालांकि कुछ काम अब भी शेष हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश से निरक्षरता को अपने जीवन-काल में मिटाया जाएगा। अब हमें शिक्षा के सभी क्षेत्रों और स्तरों में उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि हम अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त कर सकें और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान, विनिर्माण, अर्धचालक, रासायनिक पदार्थ, कृषि और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणात्मक अंतर ला सकें। उत्कृष्टता छात्रों और शिक्षितजनों को हर स्तर पर कठिन प्रयास की मांग करती है, इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

यह एक विडंबना है कि जब देश में बेरोज़गारी है तो हम अक्सर उद्योगपतियों के बयानों की रिपोर्ट पढ़ते हैं कि उनके पास नौकरियाँ तो हैं लेकिन उन्हें नौकरी करने वाले योग्य पात्र नहीं मिलते। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम रोज़गार की आवश्यकता के अनुरूप डिप्लोमाधारक, स्नातक और स्नातकोत्तर उत्पन्न करें जो उद्योग और नौकरी बाज़ार की रोज़गार की आवश्यकताओं के साथ मेल खा सकें। इस स्थिति की ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य, उद्योग और शिक्षा क्षेत्र को पाठ्यक्रम में संशोधन करने और सुनिश्चित करने के लिए कि युवा राष्ट्र द्वारा तुरंत नियोक्ता बनाया जाए। उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उन्हें मानवता की खामियों के साथ गुणवत्ता उत्पाद उत्पन्न करने होंगे। यह केवल बेहतर और योग्य युवा के माध्यम से संभव होगा, जो कि विश्वविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रौद्योगिकी संस्थानों से उत्कृष्टता से पास होंगे। कभी-कभी, उच्च-शिक्षा के लिए जा रहे छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। सरकार और बैंक जैसी वित्तीय संस्थाएं शिक्षा का वित्त प्रदान करने और विशेष रूप से उच्च-शिक्षा को वित्तीय रूप से समर्थित करने का काम करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेहतर मानसिकता वाले लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के अवसर न छीने जाएं। यह हमारे दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित में है। इस प्रकार, भारत को मौलिक शिक्षा और शिक्षा में उत्कृष्टता दोनों की आवश्यकता है। हमारे देश और देशवासियों को क्या करना चाहिए इस सिद्धि के लिए समर्पण, दृढ़ता और इच्छा-शक्ति के साथ आगे बढ़ना आज के समय की मांग है।

-सेवानिवृत मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कार्टून कोना

प्रदीप रॉय
सेवानिवृत मुख्य प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

हिंदी कार्यशाला

आंचलिक कार्यालय जयपुर

आंचलिक कार्यालय दिल्ली-1

आंचलिक कार्यालय फरीदकोट

स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, रोहिणी

आंचलिक कार्यालय चेन्नई

आंचलिक कार्यालय गुरदासपुर

हिंदी कार्यशाला

आंचलिक कार्यालय होशियारपुर

आंचलिक कार्यालय बरेली

आंचलिक कार्यालय गुरुग्राम

आंचलिक कार्यालय कोलकाता

आंचलिक कार्यालय पटियाला

सहभागी

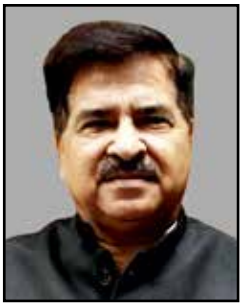

ऋण निगरानी प्रबंधन

को मजबूत बनाने की आवश्यकता क्यों?

गोपाल कृष्ण

उदारीकरण के बाद भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो हम देखते है कि बाह्य अर्थव्यवस्था गतिविधियों के कारण हमारा बैंकिंग सेक्टर जितना प्रभावित नहीं हुआ है उससे कहीं ज्यादा आंतरिक कारकों ने उसे प्रभावित किया है। ऋण आबंटन और उसके गैर निष्पादित आस्ति में परिवर्तित होने के मध्य ऋण निगरानी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऋण जोखिम के बढ़ने से उधारकर्ताओं और उधारदाता दोनों इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से जुड़े नुकसान की संभावना हम इस प्रकार से देखते है। किसी बैंक/ऋण आबंटित करने वाली संस्थाओं के पोर्टफोलियो के ऋण आबंटन, उनके व्यापार, निपटान और अन्य वित्तीय लेनदेन में इसका नुकसान होता है।

अधिक व्यावहारिक शब्दों में ऋण निगरानी उन गतिविधियों को संदर्भित करती है जो ऋणदाता किसी विशेष ऋण के जोखिम का आकलन करने के लिए करते हैं। उदारीकरण के बाद वर्ष 1995-1998 से भारतीय बैंकों की गैर निष्पादित अस्तियाँ अपने सबसे उच्चतम स्तर पर थी तो वहीं दो दशक बाद वर्ष 2015 से 2018 में अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई। भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण एनपीए धीरे-धीरे कम होकर पिछले एक दशक में सबसे निचले स्तर तक पहुँच गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में सकल खराब ऋण (एससीबी) की आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार दर्ज करते और उनका जीएनपीए अनुपात सितंबर-2023 में घटकर 11 साल के निचले स्तर पर आ जाने का संकेत दिया जो कि बैंक/ऋण आबंटित संस्थाओं के लिए शुभ संकेत है। (वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंक संख्या-28भारतीय रिज़र्व बैंक, दिसंबर 2023)

बैंकिंग उद्योग के लिए वर्ष 2015-18 का संकट काल, परिमाण, आकार, स्रोतों और पुन: पूंजीकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछले बैंकिंग संकट से कई मायानों में भिन्न रहा है। वर्तमान संकट का परिमाण 1990 के दशक के पिछले संकट की तुलना में अधिक रहा है। पिछले संकट काल अर्थात उदारीकरण के प्रथम दशक के मध्य में शुरू हुई संकट की तुलना में वर्तमान संकट काल (वर्ष 2015-18) में एनपीए के आंकड़ों में तेजी से वृद्धि हुई है। बैंक समूह-वार आंकड़े बताते हैं कि पिछले काल की तुलना में वर्तमान काल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए एनपीए समस्या अधिक व्यापक व चुनौतीपूर्ण है, हालांकि उक्त दोनों काल के दौरान सर्वाधिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के ऋण चूक (डिफॉल्ट) अर्थात बैंकों में बढ़ते गैर-निष्पादित अस्तियाँ की घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित हुए। सकल गैर निष्पादित अस्तियाँ (जीएनपीए) अनुपात के संदर्भ में निजी और विदेशी बैंकों की स्थिति बेहतर पाए गए। निजी और विदेशी बैंक समूहों में कुल मिलाकर विदेशी बैंक वर्तमान एनपीए संकट से काफी हद तक अछूते हैं।

अध्ययन की सुगमता हेतु उदारीकरण के बाद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए संकट को दो चरणों देखा जा सकता है। पिछले वर्षों में आए एनपीए संकट का एक और महत्वपूर्ण आयाम बड़े ऋणों का गैर-निष्पादन होना है। व्यापक क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है कि औद्योगिक क्षेत्र में ऋण विफलता या चूक हुई जिसके कारण इतना बड़ा संकट बैंकिंग उद्योग पर आया। हालांकि अर्थव्यस्था के द्वितीय क्षेत्र में ही उस दौर में नकारात्मक संकेत नहीं मिले अपितु प्राथमिक क्षेत्र कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों में एनपीए का स्तर बढ़ा। वर्ष 2015-18 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के एनपीए डाटा के उप-क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है कि उच्च ऋण हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों में उच्च जीएनपीए अनुपात

प्रदर्शित होता है। बैंक ऋण के एक तिहाई से अधिक आबंटित ऋण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश किया गया है और अग्रिमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एनपीए में बदल गया है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान एनपीए समस्या काफी हद तक औद्योगिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में स्थित बड़े ऋणों की विफलता के कारण है।

नब्बे के दशक के पहले के एनपीए संकट के साथ वर्तमान एनपीए संकट का तुलनात्मक विश्लेषण बताता है कि परिमाण के संदर्भ में वर्ष 2015-18 का संकट अधिक गंभीर है जिसके प्रतिकूल परिणाम बैंकिंग क्षेत्र में देखने को मिला। बड़े पैमाने पर ऋण चूक औद्योगिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में हो रही है। मोटे तौर पर वर्तमान एनपीए समस्या गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के गैर-प्रदर्शन के कारण है। मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिन्होंने मीयादी ऋण देने का काम किया है तथा औद्योगिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में उनका ऋण जोखिम के कारण है जो इन बैंकों में एनपीए की उच्च दर को स्पष्ट करता है। निजी बैंकों ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऋण न देकर और मध्यम तथा बड़े उद्योगों तक अपने ऋण जोखिम को सीमित करके जोखिम से बचने की नीति अपनाई।

हालाँकि पहले के एनपीए संकट (1995-98) के दौरान ऐसा नहीं था। प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के गैर-निष्पादित ऋणों के वितरण से पता चलता है कि 1990 के दशक में एनपीए संकट के पहले चरण के दौरान, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा तुलनात्मक रूप से बड़ा था, हालांकि गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा भी अधिक था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्र के एनपीए की हिस्सेदारी 1996 में 48.3 प्रतिशत के लगभग थी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्र के एनपीए की हिस्सेदारी 1996 में 48.2 प्रतिशत के बराबर थी। मोटे तौर पर देखा जाए तो यह देखा गया है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र दो दशकों के अंतराल के पर गैर-निष्पादित अस्तियों के भयंकर स्तर तक बढ़ने का खतरा बना रहता है जिसके कारण भारी ऋण जोखिम की समस्या से जूझने हेतु वैकल्पिक योजना के साथ बैकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार उससे उबारने का समर्थ खोजना पड़ता है। इस कार्य में बैंकों को हर बार सफलता मिली है।

समयबद्ध और प्रभाव तरीके से ऋण निगरानी

देश में ऋण निगरानी और एनपीए संकट से निपटने के लिए पहला प्रभावी कदम नरसिम्हन कमेटी -2 (वर्ष 1998) के सुझावों के बाद आया था। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित इस समिति ने एनपीए प्रबंधन हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तदुपरांत सभी बैंकों ने ऋण प्रबंधन को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करते हुए अपनी संस्थाओं में ऋण निगरानी और एनपीए प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता में रखना प्रारंभ किया। पिछले वर्षो के अनुभवों के मद्देनजर एक मजबूत ऋण निगरानी सेटअप स्थापित करने की आवश्यकता हैं अन्यथा ऋण निगरानी में किसी स्तर पर थोड़ी भी शिथिलता दिखाने पर एनपीए का स्तर दो-तीन तिमाहियों में ही दोहरे अंको में पहुंचते देर नहीं लगेगी। उक्त के मद्देनजर ऋण आबंटन की गुणवत्ता की समय से पहचान करने और उसे कम करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने की आवश्यकता है। यह देखने में सरल लग सकता है कि सभी बैंकों में ऋण निगरानी तंत्र स्थापित है। उनके द्वारा यह कार्य यथावत ढंग से किया जा सकता है। हालाँकि बैंकों के लिए ऋण जोखिम की निगरानी करना और उसे कम रखना एक व्यापक एवं दुरूह कार्य है। इसके लिए व्यक्तिगत ऋण खाते और पोर्टफोलियो स्तर दोनों पर निरंतर निगरानी करनी रहती है जिसके कारण बैंक को निम्नलिखित लाभ मिलता है :

1. प्रभावी निगरानी से ऋण हानि, पूंजी आवश्यकताएं कम होती हैं तथा ऋण की गुणवत्ता में सुधार होता है।
2. क्रेडिट निगरानी को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना, पूंजी की उत्पादकता बढ़ाता है ।
3. खातों के पुनर्निर्धारण और पुनर्गठन के माध्यम से आधिक्य पूंजी उपलब्ध करवाना।
4. तनावग्रस्त आस्ति के संदर्भ में कार्मिकों के बीच प्रशिक्षण व जागरूकता पर जोर।
5. खातों के एनपीए में चले जाने पर वसूली में तेजी लाने के लिए त्वरित रणनीति अपनाने के लिए मॉड्यूल।
6. उधारकर्ताओं के साथ कानूनी और गैर-कानूनी दोनों तरीकों को अपनाकर अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है।
7. उक्त संबंध में बैंकों के पास उपलब्ध कार्यक्रम और अंतःक्रियाओं, समूह चर्चाओं आदि पर विशेष ज़ोर।
8. प्रशिक्षण के अतिरिक्त, पारंपरिक अनुभव और अभ्यास साझा करना आदि कई कदम उठाए जा सकते है।

क्रेडिट निगरानी गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए ऑफ-साइट आधार पर उधार खातों की निगरानी करना है। प्रत्येक उधार खाते की आस्ति गुणवत्ता और समग्र रूप से क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता इसे हर समय "मानक" श्रेणी में रखा जाता है। क्रेडिट ऑडिट निगरानी गतिविधि नए, नवीनीकरण, अतिरिक्त अग्रिमों के वितरण के तुरंत बाद शुरू होता है और सीमाओं में वृद्धि, रूग्णता, कमजोरी और बिगड़ती स्थिति के लक्षण आस्ति गुणवत्ता को पहले से पहचाना जाता है और प्रभावी तरीके से तुरंत कार्रवाई की जाती है। प्रारंभिक चेतावनी संकेत को पकड़ने के लिए निगरानी करना जो एनपीए के प्रवाह को कम करेगा। वैकल्पिक रूप से क्रेडिट गुणवत्ता में वास्तविक या कथित गिरावट से उत्पन्न पोर्टफोलियो मूल्य में कमी के परिणामस्वरूप हानि होती है। क्रेडिट जोखिम किसी व्यक्ति, कॉरपोरेट, बैंक, वित्तीय संस्थान या संप्रभु के साथ बैंक के लेनदेन से उत्पन्न होता है। इसके पृष्ठभूमि में यह जरूरी है कि बैंकों के पास एक मजबूत क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रणाली हो जो डाटा का नियमित विश्लेषण करके उन कारकों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो जिससे जोखिम को कम किया जा सके। क्रेडिट जोखिम का प्रभावी प्रबंधन व्यापक जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है और किसी भी बैंकिंग संगठन की दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में क्रेडिट जोखिम जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण शामिल है। किसी बैंक में एक प्रभावी क्रेडिट जोखिम प्रबंधन ढांचे में निम्नलिखित विशिष्ट ब्लॉक शामिल होंगे।

ऋण निगरानी के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश और नीतियां: उक्त नीति और रणनीति के लिए बैंक के उच्च प्रबंधन व बैंक बोर्ड मुख्य रूप से इस दिशा में प्रभावी भूमिका में होता है। प्रत्येक बैंक का निदेशक मंडल क्रेडिट जोखिम रणनीति और महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम नीतियों को मंजूरी देने और समय-समय पर समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा। संगठनात्मक संरचना - सामान्यतः बैंक का प्रबंधन इसका निर्णय लेता है तथा संचालन प्रणाली- संबंधित (ऋण निगरानी) विभाग के कार्य क्षेत्र में यह आता है जो निम्नलिखित प्रकार से ऋण निगरानी को किसी संस्था में प्रभावी भूमिका निभाने के दिशा में कार्य करता है।

- ऋण निगरानी का पहला चरण ऋण संवितरण के दौरान ही शुरू हो जाता है।
- ऋण संवितरण और संवितरण के बाद बाज़ार की जानकारी एकत्रित करना, क्रेडिट रेटिंग, बाहरी रेटिंग आदि से संबंधित जानकारी जुटाना।
- नियमित निगरानी उपकरणों के रूप में अपने स्थापित तंत्र के माध्यम से ऑपरेशन निगरानी लेजर खातों (ऋण खाते/ ओडी खाते आदि) की निगरानी।
- एनएफसी आदि संस्थाओं के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण आदि की सीमाओं की निगरानी करना।
- बैंक में गिरवी रखे गए प्रतिभूति, संपत्ति आदि का निरीक्षण।
- नियंत्रण कार्यालयों द्वारा एमआईएस और निगरानी, सीमाओं की समीक्षा/ नवीनीकरण ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से निगरानी – जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा।
- ऑडिट, विधिक ऑडिट, स्टॉक और प्राप्य लेखापरीक्षा, वैधानिक लेखापरीक्षा और आरबीआई जैसे नियामक संस्थाओं के द्वारा ऑडिट।
- ऋण चुकौती खातों की पहचान एवं रिपोर्टिंग खातों का उल्लेख करें, शीघ्र पता लगाएं।
- चेतावनी संकेत और लाल झंडी दिखाना।
- सरफेसी नियम और प्रक्रियाएं।
- डीआरटी के माध्यम से वसूली।
- समझौता/ओटीएस के माध्यम से वसूली।
- आईबीसी 2016 इत्यादि।

कहने का अभिप्राय यह है कि ऋण निगरानी तंत्र में किसी स्तर पर अनदेखी के कारण बैंक को उस आबंटित राशि पर न केवल आय से वंचित होना पड़ता है अपितु उक्त आबंटित राशि की वसूली हेतु उपरोक्त प्रक्रिया में अतिरिक्त श्रम और साधन को भी लगाना पड़ता है। अतः ऋण निगरानी को प्रभावकारी व मजबूत बनाने से पहले चरण में ही हम ऋण निगरानी करते हुए उसे रोक सकते है। अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार के कारण भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र में आने वाली संकट और भी भयावाह व गंभीर हो सकती है उक्त के मद्देनजर ऋण निगरानी तंत्र को मजबूती को आबंटित ऋण के प्रथम कतार के रक्षक की भूमिका में सदैव खड़ा रहना होगा।

-महाप्रबंधक
प्रधान कार्यालय

राजभाषा संगोष्ठी

09 जुलाई, 2024 को आंचलिक कार्यालय नोएडा द्वारा आंचलिक प्रबंधक श्री महेश सभ्रवाल की अध्यक्षता में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय "बैंकों में हिंदी भाषा का प्रयोग" रहा। कार्यक्रम में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. चन्द्रदेव यादव को मुख्य अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया गया था। इस अवसर पर श्रीमती पूजा बडोला (नराकास सचिव-नोएडा), श्री निखिल शर्मा (मुख्य प्रबंधक - राजभाषा) तथा नराकास नोएडा के सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

डीप फ़ेक

- साइबर सुरक्षा हेतु नई चुनौती

बिभाष कुमार

साइबर सुरक्षा कंपनी मैकएफी द्वारा हाल में ही किए गए अपने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में कहा गया है कि 75% से अधिक भारतीयों ने पिछले 12 महीनों (एक वर्ष) में किसी न किसी रूप में डीप फ़ेक सामग्री देखी है जबकि सर्वेक्षण में शामिल कम से कम 38% उत्तरदाताओं को इस दौरान डीप फ़ेक का सामना करना पड़ा है। कहने का अभिप्राय यह है कि **डीप फ़ेक, साइबर सुरक्षा** हेतु एक गंभीर चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी है। वर्तमान समय में इससे लड़ने हेतु हमारे पास न कोई सक्षम तंत्र है और न ही कोई कानून।

समाज के हरेक वर्ग व इकाई में डीप फ़ेक सामग्री का प्रभाव और प्रसार काफी तेजी से बढ़ रहा है। साइबर स्पेस के उन्मुक्त स्वभाव के कारण कुछ ही समय में डीप फ़ेक से संबंधित सामग्री काफी तेजी से लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है। यूँ कहे तो सोशल मीडिया के इस दौर में परमाणु विस्फोट के सिद्धांत के अनुरूप एक से तीन, तीन से नौ के क्रम में इस तरह के सूचना/ सामग्री का विस्तार हो जाता है जिससे किसी व्यक्ति की मर्यादा व आर्थिक नुकसान का भी खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस तरह के सामग्री और प्रवृत्ति से निपटने हेतु तत्काल में जागरूकता तंत्र और नियमन बनाने की आवश्यकता है।

डीप फ़ेक सामग्री निर्माता आर्टिफिशियल इंटिलिजेश अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा मौजूदा किसी भी तरह के व्यक्तिगत पहचान और रिकॉर्ड में बदलाव करने में सक्षम हो गया है। आर्टिफिशियल इंटिलिजेश तकनीकें खास तौर पर वे पैटर्न जिन्हें पहचान और फ़ोटो में छेड़छाड़ करने में महारत हासिल हैं, का इस्तेमाल मौजूदा, असली जानकारी/ रिकॉर्ड में बदलाव करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बैंक अधिकारी/ कार्यालय के नाम से इमेज को डिजिटल रूप से संशोधित करके ऐसी स्थिति को नकली बनाया जा सकता है जो मौजूद नहीं है या फिर मौजूदा स्थिति के सबूत को मिटाया भी जा सकता है। कानूनी विषयों, बीमा दावों के नतीजों में हेरफेर करने या खाताधारक और बीमाकर्ताओं को धोखा देने के लिए ऐसा किया जा सकता है। साथ ही बैंक के उच्च प्रबंधन व उनकी योजनाओं के संबंध में भ्राँति अथवा दुष्प्रचार आदि किया जा सकता है।

कई बार हमारे मन में विचार आता है कि डीप फ़ेक कहीं यह विशिंग का ही तो नवीन व विकसित रूप तो नहीं है? डीप फ़ेक विशिंग से किस प्रकार से भिन्न है। विशिंग में समान्य तौर पर जालसाज बैंकर/ कंपनी कार्यपालक/ बीमा एजेंट/ सरकारी अधिकारी/ संबंधी/ मित्र इत्यादि बनकर ग्राहकों को टेलीफोन कॉल/ सोशल मीडिया के माध्यम से कॉल करते हैं या उनसे संपर्क करते हैं। विश्वास प्राप्त करने के लिए धोखेबाज कुछ ग्राहक विवरण जैसे ग्राहक का नाम या जन्मतिथि साझा करते हैं। कुछ मामलों में, धोखेबाज ग्राहकों पर अत्यावश्यकता/ आपातकालीन स्थिति का हवाला देकर गोपनीय विवरण जैसे पासवर्ड/ ओटीपी/ पिन/ कार्ड सत्यापन मूल्य (सीवीवी) आदि साझा करने के लिए दबाव डालते/ धोखा देते हैं। उदाहरण के तौर पर कई बार आपके खातों के अनधिकृत लेनदेन को रोकने की आवश्यकता, कुछ जुर्माना रोकने के लिए भुगतान आवश्यकता, आकर्षक छूट आदि का हवाला देते हुए आपके गोपनीय पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स प्राप्त करके उसका उपयोग धोखा देने के लिए किया जाता है।

कतिपय मामलों में ग्राहक को किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आता है जो स्वयं को ग्राहक का रिश्तेदार बताकर कहता है कि उसके

पिता ने उसे आपको (ग्राहक) राशि भेजने के लिए कहा है लेकिन ग्राहक को पैसे भेजने के बजाय घोटालेबाज, स्वयं को पैसे भेजने के लिए ग्राहक को प्रभावित कर लेता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में डीप फ़ेक इससे कई मामलों में न केवल अलग बल्कि इसका कार्य करने के तरीका भी अलग है। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों हेतु इसके अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं जैसे -

- **पहचान की चोरी** : डीपफ़ेक का इस्तेमाल (वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग) के द्वारा किसी व्यक्ति की नकल करके, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील वित्तीय जानकारी या खातों तक पहुँच देने के लिए किया जा सकता है।
- **नकली या फ़ेक केवीआइसी** : जब डीपफ़ेक द्वारा पहचान सत्यापन से समझौता किया जाता है तो वित्तीय संस्थानों को ग्राहक को जानिए और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों का अनुपालन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे न केवल बैंक को खतरा है अपितु इससे दुष्परिणाम देश के आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता पर भी पड़ने वाला है।

तकनीकी विकास व कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्तियों का "डीप फ़ेक" बनाने तथा ऐसी सामग्री के प्रचार -प्रसार की क्षमता काफी है। "डीप फ़ेक" के द्वारा प्रचालित सामग्री प्रथम दृष्टा पूरी तरह से वास्तविक लगती है जिसके कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती है। गहन विचार-विमर्श व शोध के उपरांत उस तरह के सामग्री को हम "डीप फ़ेक" अथवा छद्म कह सकते है। यूं देखा जाए तो "डीप फ़ेक" सामग्री में किसी भी चीज़ की नकल अथवा उनका छद्म प्रतिरूप हो सकती है। किसी लोकप्रिय, प्रभावशाली और जिम्मेदार व्यक्ति/ वस्तु का चेहरा, आवाज, प्रतिलिपि का संदर्भ लेकर उसके विषय में की गई झूठा अडिओ/ वीडियो अथवा दस्तावेज बनाकर लोगों के बीच में प्रचारित या प्रसारित करना इसका मुख्य उदेश्य है। अपने संदेश को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु किसी फिल्म का लोकप्रिय संवाद, पृष्ठभूमि, किसी प्रकार की शरीरिक क्रिया, आवाज़ आदि का प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण के लिए कई मशहूर हस्तियों (सिनेमा, राजनीति आदि) को डीप फ़ेक करके कुछ ऐसा कहने या करने के लिए मजबूर किया गया है जो उन्होंने वास्तविक जीवन में कहा ही नहीं। डीपफ़ेक के कंटेंट के कारण न केवल उक्त प्रभावशाली व्यक्ति के मर्यादा को क्षीण-भिन्न करने का कार्य किया गया। साथ ही उनके प्रभाव के चलते राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर इसका दुरुपयोग देखने को मिला है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम की दक्षता को देखते हुए, डीप फ़ेक की गई सामग्री लोगों को आसानी से गुमराह कर सकती है कि ऐसी सामग्री वास्तविक है।

बैंकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता -सक्षम धोखाधड़ी (डीप फ़ेक) से लड़ने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें आधुनिक तकनीक को मानवीय बौद्धिकता के साथ जोड़ने पर विचार करना चाहिए तथा धोखेबाजों द्वारा हमलों को रोकने के लिए तकनीकों का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर गंभीरता से विमर्श शुरू करने की जरूरत है। कोई एक बुलेट समाधान नहीं होगा, इसलिए धोखाधड़ी नियंत्रक टीमों/ सुरक्षा कवच को धोखेबाजों से ज्यादा मजबूत बनाए रखने के लिए अपने स्व-शिक्षण को, तकनीकी विशेषज्ञता को तेज करना चाहिए। धोखाधड़ी के खिलाफ बैंकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बैंकों को अपनी रणनीतियों, प्रशासनिक मानदंडों और संसाधनों को फिर से डिज़ाइन करने की भी आवश्यकता होगी। बैंक अकेले इस तरह के धोखाधड़ी से लड़ेंगे में सक्षम नहीं हो सकते क्योंकि डीप फ़ेक तेजी से अपना रूप व क्षेत्र विस्तार कर रहा है। इसलिए बैंकों को इस विषय से निपटने हेतु तीसरे पक्ष को जुड़कर साथ कार्य करने की आवश्यकता हैं।

बैंकों को नई प्रतिभाओं को नियुक्त करने और मौजूदा कर्मचारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायता प्राप्त धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकने और रिपोर्ट करने के लिए प्रशिक्षित करने में निवेश करना चाहिए। बैंकों के लिए, ये निवेश महंगे और कठिन होंगे; वे ऐसे समय में आ रहे हैं जब कुछ बैंक, लागत प्रबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं लेकिन धोखेबाजों से आगे रहने के लिए व्यापक प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैंक, जागरूकता के साथ-साथ इससे निपटने व रोकने हेतु सॉफ़्टवेयर विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार बैंकों और उनके ग्राहकों को 2027 तक $40 बिलियन का नुकसान हो सकता है। साथ ही एक शोध के अनुसार फिनटेक कंपनी (ओं) में वर्ष 2023 में देखें तो डीप फ़ेक के मामलों में 700 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। बैंकों को इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए अधिक चुस्त धोखाधड़ी टीमें बनाने के लिए अपने निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है।

नियामक तंत्र

वर्तमान में, भारत में कोई कानून या विनियमन नहीं है जो डीप फ़ेक सामग्री को लक्षित करता हो। इसके निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") की धारा 66 डी और 66 ई हैं जो किसी व्यक्ति को कारावास और जुर्माने से दंड का प्रावधान करती हैं। डीप फ़ेक किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण करके धोखा देता है और/या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी निजी क्षेत्र की अनुपस्थित सामग्री की छवियों को प्रकाशित या प्रसारित करता है। इसके अलावा, आईटी अधिनियम की धारा 67, 67 ए और 67 बी उन लोगों को प्रतिबंधित और दंडित करती हैं जो अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करते हैं। हालाँकि, ये प्रावधान इस समस्या का हल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपमानजनक डीप फ़ेक सामग्री की पहचान कैसे करें और उसके प्रसार को कैसे रोकें। केंद्र सरकार इसके समाधान खोजने के लिए प्रयासरत दिखाई देती है।

7 नवंबर, 2023 को केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म संचालक कंपनियों के बिचौलियों ("एसएमआई") को डीप फ़ेक सामग्री की पहचान करने और कार्रवाई करने के लिए एक परामर्शी जारी की है। केंद्र सरकार ने एसएमआई को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि गलत सूचना और डीपफ़ेक की पहचान करने के लिए निरंतर सजग रहते हुए उचित प्रयास किए जाएं। विशेष रूप से ऐसी जानकारी जो नियमों और विनियमों या उपयोगकर्ता समझौतों के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाए।

आईटी नियम, 2021 के तहत समय-सीमा के भीतर ऐसे कंटेंट की प्रचार और पहुंच को समय सीमा के भीतर हटा दिया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफार्म संचालक कंपनियों के बिचौलियां उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री (डीप फ़ेक सामग्री सहित) होस्ट न करने के लिए कहा जाए और ऐसी कोई भी सामग्री, जब रिपोर्ट की जाती है, तो रिपोर्ट के 36 घंटों के भीतर हटा दी जाती है। इस संबंध में कार्रवाई करने में सोशल मीडिया प्लेटफार्म संचालक कंपनियों की विफलता सूचना प्रौद्योगिकी नियम (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता) संहिता, 2021 के नियम 7 के अनुसार, उन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है।

27 नवंबर, 2023 को भारत सरकार ने डीप फ़ेक सामग्री के निर्माण और प्रसार का मुकाबला करने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार करने और मौजूदा कानूनों में संशोधन करने की अपनी योजना की घोषणा की। संघ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन विनियमों का आधार डीप फ़ेक प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, रोकना, रिपोर्ट करना और जागरूकता पैदा करना होगा। यह जागरूकता समाज के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्रों पर भी लागू होता है।

सावधानियां : डीप फ़ेक को एकाएक रोकना संभव नहीं है तथापि इससे बचने के लिए कतिपय सावधानियाँ रखी जा सकती हैं-

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोफ़ाइल का प्रतिरूपण नहीं किया गया है, हमेशा फ़ोन कॉल/ शारीरिक बैठक के माध्यम से पुष्टि करके किसी मित्र/ रिश्तेदार/बैंक प्रतिनिधि/ एजेंट से पैसों के अनुरोध की वास्तविकता को सत्यापित करें।
- अनजान व्यक्तियों को ऑनलाइन भुगतान न करें।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी साझा न करें।
- साथ ही ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यमों में डीप फ़ेक से जुड़े सामग्री को पहचानने और उसके दुरुपयोग से बचने का हरसंभव प्रयास करें।
- यदि आप साइबर धोखाधड़ी (डीप फेक) का शिकार होते हैं तो अविलंब अपना बैंक खाता और एटीएम कार्ड ब्लॉक कराएं तथा इसके संबंध में पुलिस के समक्ष अविलंब अपनी रिपोर्ट दर्ज करें।
- हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर घटना की रिपोर्ट करें।
- यदि मोबाइल से डाटा लीक होने के कारण धोखाधड़ी हुई है तो मोबाइल रिसेट करें।

-प्रबंधक (राजभाषा)
प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग

श्री जगदीश ग्रोवर श्री गुरप्रीत ग्रोवर शाखा अधिकारी

ग्राहक के मुख से

वर्तमान युग में बिना बैंकिंग के जीवन की कल्पना तक संभव नहीं है। बैंकिंग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। बड़े-बड़े उद्योगपति घराने अपने व्यापार को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और उनके इस प्रयास में बैंकों का योगदान अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक घराना जो बठिंडा शहर को पहली बार एक 5 स्टार होटल के रूप में बहुत बड़ी सौगात देने के बहुत करीब हैं। होमलैंड एन्क्लेव, बठिंडा में रहने वाले भारतीय सेना से रिटायर्ड श्री प्रकाश राम सिंह ग्रोवर जी के सुपुत्र श्री जगदीश ग्रोवर व उनके पौत्र श्री गुरप्रीत ग्रोवर जोकि होटल व्यवसाय में बहुत समय से जुड़े हुए हैं। होटल स्वीट मिलन, जी. टी. रोड, बठिंडा के मालिक श्री जगदीश ग्रोवर जी बड़े समय से बठिंडा में एक 5 स्टार होटल बनाने का सपना संजोए हुए थे।

श्री जगदीश ग्रोवर जी के शब्दों में - मैं अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर वर्ष 2022 से काम शुरू कर चुका था। किसी अन्य बैंक से बातचीत शुरू हो चुकी थी और आरंभिक कागजात लगभग पूरे हो चुके थे। एक दिन मैं अपने होटल स्वीट मिलन, जी. टी. रोड, बठिंडा में अपने ऑफिस में बैठा था तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक की शाखा पिथो के अधिकारी श्री सौरव बंसल जी और श्री संदीप सिंह जी मुझसे मिलने आए। उन्होंने अपने बैंक की कुछ आकर्षक ऑफर पेश की जोकि मुझे पहले किसी बैंक से नहीं की गई थी। श्री सौरव बंसल जी ने बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं के निर्बाध रूप से मिलते रहने का आश्वासन दिया। सभी प्रकार से संतुष्ट होने के पश्चात मैंने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के साथ जुडने का निर्णय ले लिया। मैं जिस उम्मीद और विश्वास से इस बैंक के साथ जुड़ा था, बैंक व स्टाफ सदस्य भी मेरी सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरे हैं। मुझे पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा न्यूनतम ब्याज-दर, शून्य प्रोसेसिंग शुल्क इत्यादि लाभ प्रदान किए गए। बैंक द्वारा दी गई सभी ऑफर व सुविधाएं पूर्णतया स्पष्ट व पारदर्शी रहीं।

बैंक देश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ होते हैं। सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था एक सफल राष्ट्र की सफल अर्थव्यवस्था का परिचायक होती है और पंजाब एण्ड सिंध बैंक देश की इस सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली में अपना विस्मरणीय योगदान दे रहा है। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि अपने प्रबंधन व कर्मचारियों के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकताओं को गहराई से समझने और उन्हें पूर्ण करने के संकल्प से पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने अपने सूत्र वाक्य "जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है" को चरितार्थ करते हुए ग्राहक सेवा की दृष्टि से अग्रणी बैंक के रूप में स्वयं को स्थापित किया है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की शाखा पिथो (रामपुरा फूल) के शाखा प्रबंधक श्री सौरव बंसल और स्टाफ सदस्यों का अपने ग्राहकों के प्रति सेवा भावना को देखते हुए मेरा भी यही विश्वास है कि मैं, इस बैंक के साथ जुड़कर अपने होटल व्यवसाय को बैंक की प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर भविष्य में प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकूंगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि समाज का हर वर्ग अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के साथ जुड़कर पूर्णतया आकर्षक लाभ ले सकते हैं।

-द किंग्स प्लाज़ा
गोनियाना रोड, लेक नंबर 3, नजदीक पेनेसुएला मॉल
बठिंडा, पंजाब

117वाँ स्थाप

24 जून, 2024 को पंजाब एण्ड सिंध बैंक का 117वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। इस पुनीत अवसर पर बैंक में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत गुरुद्वारों में सबद-कीर्तन, छबील वितरण, कार्मिकों द्वारा रक्तदान, वृक्षारोपण तथा ग्राहक मिलन समारोह का इत्यादि का आयोजन किया गया।

आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़

आंचलिक कार्यालय गुरुग्राम

आंचलिक कार्यालय दिल्ली-2

आंचलिक कार्यालय जयपुर

थना दिवस

स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, रोहिणी

आंचलिक कार्यालय गाँधीनगर

आंचलिक कार्यालय पटियाला

आंचलिक कार्यालय कोलकाता

बैंक द्वारा अनेक सामाजिक संस्थाओं यथा विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल और गुरुद्वारों में वाटर कूलर लगवाया गया तथा समाज के दिव्यांगजनों को निःशुल्क व्हील चेयर, स्टीक इत्यादि का वितरण किया गया। स्थापना दिवस पर समाजिक उत्थान के लिए बैंक द्वारा इस प्रकार के प्रयास, बैंक स्थापना के मूल में निहित उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

अजगैबीनाथ

-सुल्तानगंज से देवघर बैद्यनाथ धाम की यात्रा

वीरेन्द्र कुमार यादव

सुल्तान गंज का सांस्कृतिक इतिहास काफी प्राचीन है। भारत के भागलपुर जिला स्थित एक एतिहासिक स्थल है। यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो धर्म, संस्कृति एवं कला के स्रोत के रूप में विख्यात है। यहाँ बाबा अजगैबीनाथ का विश्व प्रसिद्व प्राचीन मंदिर है जो गंगा की धारा में स्थित है। उत्तरवाहिनी गंगा होने के कारण सावन के महीने में लाखों कॉवरियां देश के विभिन्न भागों से गंगा जल लाने के लिए यहाँ आते है। यह गंगाजल झारखण्ड राज्य के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाते है। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। सुल्तान गंज हिंदू तीर्थ के अलावा बौद्ध पुरावशेषों के लिए भी विख्यात है। सन 1853 ई. में रेलवे स्टेशन के निर्माण के दौरान यहां से मिली बुद्व की लगभग 2 टन वजनी 2 मीटर ऊँची ताम्र प्रतिमा आज बर्मिंघम म्यूज्यिम में रखी है। इस प्रतिमा में महात्मा बुद्ध के शीश पर कुंचित केश है परंतु उसके चारों ओर प्रभामंडल नहीं है। सुल्तानगंज में स्थित यह ताम्र प्रतिमा नालंदा शैली की प्रतीत होती है परंतु रखाल दास बनर्जी ने इसे पाटली पुत्र शैली में निर्मित माना है।

सुल्तानगंज में दो पहाड़ियाँ है जिनमें से एक को अजगैबीनाथ की पहाड़ी तथा दूसरी को मुरली पहाड़ी कहा जाता है। इन दोनों पहाड़ियों की चट्टानों पर उत्कीर्ण, ब्राह्मण और बौद्धधर्म की कलाकृतियों से इस स्थान की धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इन दोनों पहाड़ियों की चट्टानों पर उत्कीर्ण, ब्राह्मण मूर्तियों में से शेषशायी विष्णु, वराह, रेवेन्तु, गरुड़, उमा-महेश्वर, परशुराम, सूर्य, गणेश, पदचिन्ह और शिलालेख आदि विशेष रूप से दर्शनीय है। सुल्तानगंज के आस-पास के क्षेत्रों से धर्मचक्र, प्रर्वत्तन मुद्रा एवं भूमि स्पर्श मुद्रा में प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। इन कलाकृतियों से सुल्तानगंज के सांस्कृतिक वैभव की पहचान होती है।

अंग प्रदेश को हृदय स्थली सुल्तानगंज अनगिनत धार्मिक एवं अति प्राचीन एतिहासिक धरोहरों को अपने दामन में समेटे हुए है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हिरण्यपुरी, हिरण्य जनपद के नाम से जाना जाता था। ऐसा कई ग्रंथों में भी वर्णित है। यह वही क्षेत्र है, जहां दैत्यराज बली ने भगवान बामन को साढ़े तीन डग जमीन दान किया था। भगवान बामन ने तीन डग मे संपूर्ण धरती को नाप लिया और आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद बामन ने बली से पूछा कि आधा डेग कहाँ रखे तो बली ने अपना शरीर आगे कर दिया था और उनका साढ़े तीन डेग का वचन राजा बली ने देहदान कर पूर्ण किया।

यहां श्रृंगी ऋषि के पिता विभाण्डक ऋषि वाल्मिकी कालीदास से लेकर विद्यापति समान महान विभूति महादेव के शरणागत होते रहे है। यहीं महात्मा बुद्ध जीवन पर्यन्त प्रतिवर्ष थे चतुरमासा बिताया करते थे। बताया जाता है कि यहां तीन-धनुष थे जिसमें एक 'जरा', जो जरासंध के पास था, दूसरा 'अजगब' जो सुल्तानगंज गंगा के बीच शिव मंदिर स्थल पर था और तीसरा 'गांडीव' जो अर्जुन के पास था। किवदंती देती है कि सीता का स्वयंवर रचाने

के लिए मिथिला के राजा जनक यहीं से 'अजगब' धनुष को उठा ले गये थे।

सुल्तानगंज को गंगा की दूसरी जन्म स्थली भी कहा जाता है। राजा भगीरथ ने अपने वंश के साठ हजार पुत्रों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की थी, जिस कारण गंगा अवतरित होकर धरती पर अविरल बहने लगी। गंगोत्री से मचलती हुई गंगा तीव्र वेग से आ रही थी कि सुल्तानगंज के वर्तमान जहाँगीरा गाँव में जहान्वी मुनि तपस्या में लीन थे, जहान्वी आश्रम को बहा ले गयी। इससे मुनि की तपस्या भंग हो गयी। क्रोधित जहान्वी मुनि अंजलि में गंगा को लेकर पी गए। इससे राजा भगीरथ उदास हो गये और जहान्वी मुनि को मनाने के लिए घोर तपस्या की। इसके बाद जहान्वी मुनि अपने त्रिशूल से जाँघ को चीरकर गंगा को धरती पर उतार दिया। इसी कारण गंगा का नाम जहान्वी यानि गंगा का पुर्नजन्म हो गया और गंगा यहां उत्तरवाहिनी हो गयी। चरक संहिता में जहान्वी की चर्चा है। जाँघ को चीरकर गंगा को निकालने के कारण इस जगह का नाम जहाँगीरा हुआ। यह स्थान आज भी इसी नाम से एक गाँव के रूप में बसा हुआ है।

जहान्वी ऋषि के आश्रम में शरीर छोड़ देने के बाद, शिष्य अजगैबी उत्तर वाहिनी गंगा का जल बाबा बैद्यनाथ के ज्योर्तिलिंग पर चढ़ाते, लगातार चढ़ाते रहे, जब वे 100 वर्ष के हो गए तो शिव भगवान से कष्ट देखा नहीं गया तो उन्होने अजगैबी को रोकने के लिए, जब वह जल जढ़ाने सूइया पहाड़ पहुँचा, उसी समय शंकर भगवान गधे का रूप धारणकर प्यास से तड़पने लगा, यह देखकर अगजैबी ने गधे के मुँह में जल को लगा दिया। शंकर जी प्रकट हो गए और उसे गले से लगा लिया। शिवजी बोले आश्रम पर रहकर ही तुम पूजा करो। वहीं मैं तुमसे प्रतिदिन मिलूँगा। अंत समय आ गया है, तुम्हारी समाधि सुल्तानगंज में बनेगी, पहले तुम्हारा नाम होगा है, पहले तुम्हारी पूजा होगी तब हम पर जलाभिषेक होगा।

पौराणिक कथा के अनुसार अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज से सर्वप्रथम दशानन रावण ने पवित्र गंगा जल लेकर पैदल कॉवर यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ धाम जाकर जलाभिषेक किया था। इसके बाद भगवान राम ने स्वंय कॉवर लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। उसी समय से यहां कॉवर यात्रा की शुरुआत बताई जाती है। बाद में पालवंश के शासक नारायणपाल ने अंग जनपद के विभिन्न हिस्सों में अनेक हिंदू देवी-देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया। उसी में से एक

अजगैबीनाथ पहाड़ी पर भगवान शंकर का और उस पहाड़ी के सामने वाली पहाड़ी पर देवी पार्वती के मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पहाड़ी के चारों ओर 108 शिवलिंग की खुदाई की गई है और मूर्ति के नीचे लिखी भाषा की लिखावट ब्राह्मी लिपि है।

सुल्तानगंज को सूफी महासिद्धपीठ भी माना जाता है। सूफी परंपरा में वाराणसी के बाद इसे दूसरा स्थान प्राप्त है। यह सिद्धपीठ गंगातट पर स्थित है जो श्मशान घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग आज भी सिद्धि प्राप्त करते है। भगवान शिव के सबसे प्रिय और सबसे पावन महीना सावन है। इस माह में कांवर यात्रा की शुरूआत भी सुल्तानगंज से की जाती है, जिसका अंतिम मंजिल देवघर का बैद्यनाथ मंदिर है जो यहां से 105 किमी की दूरी पर है। वैसे तो कॉवर में पवित्र नदियों से जलभर कर देवताओं पर जल चढ़ाने की परंपरा न्यूनाधिक रूप में सारे राज्य में, संपूर्ण देश में प्रचलित है। जहां तक देवघर में ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल और विप्लव पत्र चढ़ाने का प्रसंग है और वह भी विशेषकर सावन में - अति प्रचारित और विश्वविश्रुत है। देवघर की महिमा तीनों लोक में विख्यात है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में बैद्यनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग नवम है। बैद्यनाथ धाम से शिव की प्रशस्ति के कारण इस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इसे सब कोई कामदा लिंग बैद्यनाथ के नाम से भी जानते हैं। ये चिंतामणि के समान भक्तों के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले है।

रावण अपने को अमर बनाने के लिए माता के आदेश से कैलाश पुरी गए। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने अपनी कामना लिंग को ले जाने के लिए कह दिया परंतु उसे निर्देश दे दिया कि

मार्ग में उसे जहां रख दोगे वहीं रह जाऊँगा। शिव के निर्णय से सुरलोक में हलचल मच गयी। सुर संसद की बैठक हुई। तय हुआ कि रावण अपने बल विक्रम से यों ही हमारे ऊपर भारी है, अगर ज्योतिर्लिंग को ले जाने में सफल हुआ तो हमारी मुसीबत और बढ़ेगी। फलतः विष्णु और वरुण देव आगे आए। रावण वायुमार्ग से जा रहे थे। उन्हे जोर से लघुशंका लगी। नीचे उतरे, अहीर (ग्वाला) जिनका नाम बैद्यनाथ था जो कि कहा जाता है विष्णु के रूप थे, रावण ने शिवलिंग को उन्हे थमा दिया। लघुशंका निवृति करने चला गया। इधर उन अहीर बैद्यनाथ ने ज्योतिर्लिंग को अधिक भारी अनुभव होने पर भूमि पर रख दिया। रावण काफी विलंब के बाद लौटा तो पूरी शक्ति लगाकर भी उसे न उखाड़ सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ा कर पुनः त्रिकुटाचल पर जाकर घोर तपस्या की, उसके बाद लंका चला गया। रावण गुफा त्रिकुटाचल पर स्थित है। इधर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिवलिंग को झारखंड के इसी वन प्रांत में प्रतिष्ठित कर दिया। बैद्यनाथ अहीर के नाम से ये बैद्यनाथ धाम हो गया।

विश्व के सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है मगर बैद्यनाथ धाम परिसर के शिव-पार्वती, लक्ष्मी-नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे है। यहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दो दिन पूर्व बाबा मंदिर, माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते है। इस दौरान पंचशूलों को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बैद्यनाथ धाम परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शीर्ष पर स्थित पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिनों पूर्व ही उतार लिया जाता है। सभी पंचशूलों को नीचे लाकर महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथा स्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा व पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त होने के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महाशिवरात्रि के दौरान बहुत ज्यादा श्रद्धालु सुल्तानगंज से कॉवर में गंगा जल भरकर पैदल चलकर और 'बोल बम' के जयघोष करते हुए बैद्यनाथ धाम पहुँचते है।

कॉवरीयां के कई प्रकार होते है जिसमें सबसे कठिन और साधनामय कार्य 'डाक बम' का है जो सीधे सुल्तानगंज के गंगातट पर कॉवर उठाते है और देवघर में बाबा को गंगा जल चढ़ाकर विराम लेते है, इसे खड़ा कॉवर भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार के कॉवरधारी सामान्य गति से चलते है। मार्ग से मात्र फलाहार दुग्दाहार करके रास्ता नापते है। तीसरे प्रकार के कॉवरधारी बीस-तीस से लेकर चालीस-पचास के टोली में चलते है, मार्ग में विराम लेते है, मनपसंद खाना खाते है और तीन-चार दिनों में पहुँचते है। एक चौथे प्रकार के भी कॉवरधारी है, ये पवित्र कॉवर लिए चलते है, आगे-आगे वाहन चलता है जिस पर उनके बच्चे रहते है, खाने-पीने का समान रहता है, ट्रांजिस्टर, माइक बजता चलता है। निश्चित पड़ाव पर वाहन रुकता है, नौकर-चाकर रसोई तैयार करके रखते है। सबसे कठिन कार्य 'डाक बम' का है, इसमें तो अनेक कमजोर शरीर वाले बाबाधाम आते-आते शिवधाम की ओर कूच कर जाते है।

सावन मास में ही क्यों कॉवरियों का सैलाब उमड़ता है। सावन महीने में ही समुद्रमंथन हुआ था। भगवान शंकर ने संसार के कल्याण के लिए हलाहल का पान किया, राजा भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से ही पृथ्वी पर लाया। गंगा की इस तीव्र धारा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर रोका और जटों में बाँधा, फलतः उन्हें गंगा बहुत प्रिय है। बाद में भगीरथ अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान आशुतोष से अपनी तपस्या के द्वारा गंगा को पाया। भगवान शिव को विप्लव पत्र बहुत पसंद है, उसमें तीन पत्ते होते है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सम्मिलन के प्रतीक है। सावन का मास ऐसे ही सुहावना होता है। बेल के पादप नए-नए ताजे विपल्व पत्तो से सजे रहते है। गरजते आकाश और बरसते पावस में यात्रा सरल, सुगम और प्राणदायक बन जाता है।

कॉवर तो एक प्रतीक मात्र है। यह कर्म की निरंतरता का परिचायक है। मानव का लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा यही कॉवर देता है। सृष्टि के मूल में कर्म है। अतः चारों पुरूषार्थ इसी के माध्यम से प्राप्त होते है। यह संदेश कॉवर एक साथ देता है। यह कर्मयोग एवं भक्तियोग के बीच समन्वय स्थापित करता है। कॉवर लेकर चलने वाला भक्त मार्ग में एकांकी नहीं रहता है। वह अपने सहयात्री का सुख-दुःख बाँटकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। कॉवरिया पथ में जिस तरह की सद्भावना दिखती है वह कहीं और नहीं दिखती। कॉवरधारियों में कोई जाति नहीं होती न कोई श्रेणी होती है। संपूर्ण शरीर केसरीया अच्छादित श्रद्धा की मूर्ति और आस्था की प्रतिमा होता है। पथरिले दुरूह और पग-पग पर थका देने वाले मार्ग के अवरोधो को पार करके जब भक्तजन बाबा के प्रागंण में पहुँचते

है तो उनके जीवन की साध पूरी हो जाती है। कुल मिलाकर बाबा बैद्यनाथ की ओर जाने वाले कॉवरियां, प्रेम, सहानुभूति, भाईचारा और सद्भाव का अद्भुत नजारा पेश करते है। यह यात्रा भले ही कुछ दिनों के किए क्यों न हों पर यात्रियों में जैसी प्रतिबद्धता और सदभावना दिखती है उसकी भारत में कोई दूसरी मिशाल आसानी से नहीं ढूंढी जा सकती।

सुल्तान गंज से शुरू होने वाली बैद्यनाथ धाम तक की यात्रा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। सांसारिक जीवन में आदमी एक दूसरे से कटकर भले ही रहता आ रहा है पर जब कॉवर लेकर बाबा धाम की ओर प्रयाण करता है तो उसकी कटुता समाप्त हो जाती है। बाबा की सेवा में लगा कॉवरियों का यह जत्था उन्हें भारत की अन्य धामों से अलग करता है। वासुकिनाथ अपने शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है, जब तक वासुकिनाथ में दर्शन नहीं किए जाते है। यह मान्यता हाल-फिलहाल में प्रचलित हुई है। पहले ऐसी मान्यता का प्रचलन नहीं था न ही पुराणों में ऐसा वर्णन है। यह मंदिर देवघर से 42 किमी दूर जरमुण्डी के पास स्थित है। यहां पर स्थानीय कला को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। वासुकिनाथ मंदिर के परिसर में अन्य छोटे-छोटे मंदिर भी स्थित है।

-सदस्य हिंदी सलाहकार समिति,
भारत सरकार सह अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय हिंदी परिषद

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक

माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय श्री स्वरूप कुमार साहा की अध्यक्षता में 18 जून, 2024 को प्रधान कार्यालय स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकारी निदेशक श्री रवि मेहरा सहित प्रधान कार्यालय के समस्त विभागों के महाप्रबंधक व अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदय ने संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर विशेष बल दिया। इसके अतिरिक्त बैठक में बैंक के राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की गई और राजभाषा संबंधी नवोन्मेषी कार्यों पर प्रकाश डाला गया।

काव्य-मंजूषा

बैंकर

हां मैं एक बैंकर हूं
दिन भर नोटों के ढेर पर बैठकर,
शाम को खाली जेब-उठती हूं।
कभी किसी जरूरतमंद को ऋण देकर,
तख़मीना खुद के खर्चों का करती हूं।।

कभी किसी बुजुर्ग की पेंशन का,
कभी किसी बहन के घर खर्च का,
एक जरिया बनती हूं।
कभी किसी के सपनों का घर बनवाकर ,
खुद के घर से मीलों दूर बसती हूं।
कभी खुद की पढ़ाई बंद कर,
किसी की फीस का इंतजाम करती हूं।
हाँ, मैं एक बैंकर हूं।।

लोगों की मेहनत की पूंजी की
हिफाजत बहुत मेहनत से करती हूं।
जहां नहीं करता कोई भरोसा अपने अपनों पर
वहां मैं सबके एतबार की पहचान बनती हूं।
नहीं कहती मैं,
मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता
फिर भी अपने होने का दंभ भरती हूं।
हाँ, मैं एक बैंकर हूं।।

ऋचा जैन, अधिकारी
शाखा सरसवां
मध्यप्रदेश

मेरा घर

तारे चमकते हैं, लोगों के घर
जब आती है बारी औरों की
जताते हैं हमदर्दी,
कि जा नहीं पाते वो अपने घर
और अगले ही पल ये भी सुना जाते है
करनी थी नौकरी तो क्यों करते रहते है वो घर
पता नहीं समझते हैं कि नहीं
पर दिखाते हैं वो हमेशा कि
जैसा मेरा घर, वैसा भी तेरा घर।

उनको कौन बताए
ये दुनिया नहीं है चलचित्र की
जहां एक ही कहानी होती है हर घर की
जहाँ होती है, जैसा तेरा घर वैसा मेरा घर।
क्या बताऊं तुम्हे
माँ कहती है सब ठीक है
तुम करो नौकरी बेफिक्र
छोड़ के परवाह अपनी घर की
और छुपाती है वो अपनी तबीयत
जानती है बता दूंगी तो रोएगा रात भर
और नौकरी छोड़कर आ भी नही पाएगा
और वो कहते है जैसा मेरा घर वैसा तेरा घर।

मजबूरी में चले थे इस बार
घर से मीलों दूर हर बार की तरह
कि वापस लौटूंगा जल्दी मैं भी घर
पर हर बार की तरह उलझ जाता हूं
अब घर पे नहीं रहा वो साया
जो उठाते थे हर जिम्मेदारी
हर खुशी लाते थे
पता नहीं कहाँ मिलती थी इतनी खुशियाँ
अब उनके बगैर तो दिखती भी नहीं है खुशियाँ
और घर में होती थी कितनी रौनक
अब कहीं सूना सा पड़ा है मेरा घर।

माँ भी है कि कहती नहीं
रोती है मगर आँसू निकलते नहीं
कहती है वो
नौकरी करना और खूब तरक्की करना
छुपा जाती है वो अपने आँसू कहते हुए ये शब्द
जल्दी आना तेरे बगैर अब कहा चलेगा ये घर।

कहीं रोता है वो नन्हा सा बालक
कि पापा लाएंगे आज शाम को खिलौने
वो आएंगे तो आज सज जाती हूं फिर
एक दुल्हन की तरह
पर कौन है, वो जो कहते है
जैसा तेरा घर, वैसा मेरा घर
सुनना और सुनाना बहुत ही आसान
पर कभी फुर्सत हो तो आओ मेरे घर
दिखाऊं मैं तुम्हे कैसा है मेरा घर
जो अब सिर्फ मकान बनकर रह गया है
हाँ वो मेरा मकान, वो मेरा घर।

आलोक कुमार, प्रबंधक
खुर्जा इब्राहिमपुर शाखा
उत्तरप्रदेश

काव्य-मंजूषा

उम्र का एक पड़ाव

उम्र का एक पड़ाव आया
जब घर छोड़ना हमारी मजबूरी बन गई
छोड़ आए माँ-बाप, घर परिवार, दोस्त यार
और उनकी यादें हमारी मजबूरी बन गई।

किताबों का रेक, एक गैस चूल्हा, चावल दाल
एक छोटा सा कमरा बना आशियाना
यही रहा विधार्थी जीवन का हाल।
पापा का फटकारना, माँ की लोरी
भाई-बहिन की मीठी लड़ाई
दादा- दादी का प्यार,
सब कुछ पीछे छूट गया
कुछ पाने के लिए
कुछ खोना पड़ता है
इसी आवाज में अपनों से नाता टूट जाता है।

नया शहर था, नए लोग थे फिर भी
अपनों की याद सताती है।
बड़े शहर में बड़े ख्वाब थे,
पर खाली जेब औकात बताती है।
दूसरों को देखता था मौज करते
मेरा भी मन उनकी तरफ जाता है।

दिल करता है एक सिगरेट मैं भी जला लूँ
फिर पापा का वो चेहरा सामने आता है।
उम्र भी मेरी कुछ 18 वर्ष थी
जवानी का ख्याल दिल में आता था
क्लास की एक लड़की थी
जिसकी तरफ मन बार-बार जाता था।

ऋषि राज सिंह
मुख्य प्रबंधक
आंचलिक कार्यालय गुरुग्राम

ज़िन्दगी तो माँ जैसी होनी चाहिए

ज़िंदगी तो माँ जैसी होनी चाहिए,
किसे क्या फर्क़ पड़ता है कि किसकी कैसी है,
मुझे बस यही लगता है कि मेरी हीरे जैसी है,
बस उसकी चमक जिंदगी में होनी चाहिए,
जिंदगी तो माँ जैसी होनी चाहिए।

ना कमी उसमें किसी तरह की, ना कोई उससे अच्छी है,
ना संशय उस पर किसी तरह का, उसकी हर बात सच्ची है,
ना किसी से तुलना उसकी, ना किसी और जैसी चाहिए,
जिंदगी तो माँ जैसी होनी चाहिए।

अहसास है उसका मखमल जैसा, बोली उसकी कोयल जैसी है,
कांटों भरे पतझड़ में भी वो, बगिया फूलों जैसी है,
दुर्गंध भरे इस जीवन में, महक उसकी होनी चाहिए,
जिंदगी तो माँ जैसी होनी चाहिए।

सरल है वो बहते पानी की तरह, ना दिखावा उसमे कोई है,
मेरी महरूम सी ये दुनिया भी उसने, बड़े जज्बातों से पिरोई है,
हर दुआ में उठे हाथ को इल्तिजा यही चाहिए,
जिंदगी तो माँ जैसी होनी चाहिए।

प्रवीण कुमार खेमका
प्रबंधक
प्रधान कार्यालय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

राकेश चन्द्र नारायण

विपश्यना

प्राचीन काल में भारतीयों ने कई ऐसी विद्याएं खोजी थी जिसने पूरे विश्व को चमत्कृत कर दिया था। समय के साथ-साथ कई विद्याएं हमेशा के लिए भुला दी गई। विपश्यना ("चीजों को वैसा ही देखना जैसा वे वास्तव में हैं") भारत की अत्यंत प्राचीन विद्या थी जो भारत मे भुला दी गई। पड़ोसी देश ने इसे लगभग 2000 वर्षों तक गुरु-शिष्य परंपरा में जीवित रखा और हाल में भारत को लौटा दिया। इसे दुबारा पाना भारत के लिए एक बड़ी घटना थी। खासकर ऐसे समय जब पश्चिमी सभ्यता और वैज्ञानिक प्रगति की चमक हमें हमारी संस्कृति से दूर कर रही है। विपश्यना से संबन्धित कुछ संदर्भ हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं :

ऋग वेद मण्डल 3, सूक्त 62, मंत्र 9 : यो विश्वाभि विपश्यंति भुवना सं च पश्यंति। स नं: पूशाविता भुंवत्॥ अर्थात वह पूषण भगवान जो संपूर्ण लोकों को देखता है, उनका भली-भाँति चिंतन करता है, वह हमारा रक्षक हो।

गीता अध्याय 15, श्लोक 10 : उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्। विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। अर्थात अज्ञानी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते जबकि यह शरीर में रहती है और इन्द्रिय, विषयों का भोग करती है और न ही उन्हें इसके शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं वे इसे देख सकते हैं।

इसके बाद यह विद्या लुप्त हो गई। बुद्ध ने इसे पुनर्जीवित किया। यह बुद्ध के उपदेशों का प्रयोगात्मक पहलू है और लोक कल्याण के लिए है। यह अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर आत्म-निरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है।

विपश्यना के बारे मे मुझे सबसे पहले जानकारी 2003 में बर्मा

(म्यांमार) के म्यांमा इकनॉमिक बैंक के अधिकारियों से मिली थी। हम लोग उन्हें भारत– म्यांमार सीमा पर हो रहे वस्तु-विनिमय व्यापार को सामान्य व्यापार में बदलने के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे। उनमें से एक प्रतिभागी ने बताया कि बुद्ध द्वारा पुनर्जीवित विद्या को किस तरह से बर्मा ने 2000 सालों तक बचा कर रखा है। ब्रह्मदेश (बर्मा) में यह मान्यता थी कि विपश्यना फिर भारत जाएगी और वहाँ से पूरे विश्व मे फ़ैल जाएगी। कृतज्ञ हृदय से मैंने उन पाँच अधिकारियों के विदाई समारोह मे यह कविता लिखी थी :

Adieu

Adieu, adieu, friends, adieu, adieu, adieu
Fare thee well, for we must leave thee,
Do not parting grieve thee,
And remember that the best of friends must part

You honourable (Zung Bawi Pum) and
Famous (Kya Soe Moe) guests from MEB,
Came with the message of love and friendship,
And all your love (Chit Mya) was gold (Thaw Shwe)
If all the good people were clever (Kyi),
And all the clever people were good,
The world would be nicer than ever
We here thought it possibly could.

ब्रैकेट में दिए गए नाम सहभागियों के हैं। जब मैं मोरे (मणिपुर) से बर्मा के तामू शहर गया तो वहाँ बुद्ध का प्रभाव स्पष्ट था। बर्मा के श्री सत्यनारायण गोयनका, जिन्हें विपश्यना को भारत वापस लाने का श्रेय प्राप्त है, ने सयाज्यी उ बा खिन से विपश्यना की शिक्षा ली थी जो बर्मा के महालेखाकार भी थे। सयाज्यी उ बा खिन ने श्री गोएनका से आग्रह किया था कि विपश्यना वापस भारत जानी चाहिए क्योंकि यह विद्या वहीं से आई थी। अपने गुरु के आग्रह पर श्री सत्यनारायन गोएन, विपश्यना को पुनः इसके मूल स्थान भारत लाए। इसके लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्री सत्यनारायण गोयनका को विश्व के अनेक मंच जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र संघ में आमंत्रित किया गया है ताकि वह इस विषय में लोगों को अधिक जानकारी दें।

विपश्यना के लिए किसी विश्वास प्रणाली की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक गैर-सांप्रदायिक अभ्यास है। इसका अलौकिक विश्वासों से कोई लेना-देना नहीं है। इसी तरह, यह किसी भी धर्म या दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुकूल है। दस दिनों का विपश्यना ध्यान, अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन मे रिट्रीट के दौरान किया जाता है। यह निःशुल्क हैं क्योंकि वे दान द्वारा समर्थित हैं। विपश्यना का अभ्यास आत्म-खोज की यात्रा है। अज्ञानता सभी दुःखों का मूल कारण है। विपश्यना इस अज्ञानता को दूर करने का एक तरीका है। मैंने अभी हाल ही में पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के विशाल हरे-भरे परिसर के अंदर बिहार सरकार द्वारा बनाया गया विपश्यना केंद्र (धम्म पाटलिपुत्र) में आयोजित दस दिनों के विपश्यना शिविर (4-14 मई, 2024) में भाग लिया।

केंद्र में एक दिन पहले पहुचना होता है। जब मैं तीन तारीख को लगभग एक बजे के आसपास केंद्र पहुँचा, तब दोपहर के खाने का वक़्त हो रहा था। केंद्र के स्वयं सेवकों ने औरों के साथ-साथ मुझे भी खाने के लिए कहा। हम सबने खाना खाया। ज्यादातर

साधक युवा थे। इससे पता चलता है कि आज युवा वर्ग सबसे अधिक मानसिक रूप से परेशान है। सब से एक फ़ॉर्म भरवाया गया और कमरा आबंटित कर दिया गया। मोबाइल जमा करा लिया गया। समय सारणी दे दी गई जिसके अनुसार पूरे दस दिनों का कार्यक्रम तय होता है। कोई भी लिखने-पढ़ने की सामग्री और संगीत वाद्ययंत्र आदि रखने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि सब को अंतर्मुखी होना था। अंतर्मुखी होने से सत्य के दर्शन आसान हो जाते हैं। घटना बाहर होती है तो विकार मन में पैदा होते हैं। विपश्यना मन के विकार को दूर कर देता है। सत्यनारायण गोयनका जी का हर शाम प्रवचन होता है जिससे साधना विधि समझ में आ जाए।

शिविर की अवधि के दौरान निम्नलिखित पाँच नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना पड़ता है :

- किसी भी प्राणी की हत्या से दूर रहना;
- चोरी करने से दूर रहना;
- सभी यौन गतिविधियों से दूर रहना;
- झूठ बोलने से दूर रहना ; और
- सभी नशीले पदार्थों से दूर रहना।

शाम को एक हॉल में सब एकत्र हुए। कुछ विदेशी लोग भी आए थे साधना करने। महिला और पुरुष को अलग-अलग रखा जाता है पर साधना एक ही कक्ष मे किया जाता है। हमें नियम समझाए गए जो बहुत सख्त थे हमें कहा गया जो भी जाना चाहता हैं वो

चले जाए। कल से किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। हमें कहा गया कि साधना के दौरान किताब नहीं पढ़ें, नज़र दो फ़ीट से ऊपर ना रखें यानी एक-दूसरे से नज़र ना मिलायें। हमें बताया कि अभी से आपका मौन चालू हो जाएगा। आर्य मौन शरीर, वाणी और मन से मौन। दूसरे दिन सुबह चार बजे घंटी बजी और 4.30 बजे से दो घंटे के लिए ध्यान लगाना था। इसमे अपने स्वाभाविक सांस के प्रति सजग रहना था जिसे पाली मे आनापान ध्यान कहते हैं। दो घंटे नीचे बैठने से और चंचल मन के कारण कठिनाई होती है। शरीर और मन दोनों विद्रोह करते है। मन मे कई शंकाएं पैदा होने लगती है लेकिन यह समझ में आ गया था कि एकाग्र चित से ही साधना आगे बढ़ सकती है। सुबह 6.30 बजे से 8.00 बजे तक नाश्ता का समय होता है। नाश्ते में चाय, अनाज, फल इत्यादि शामिल होते थे। हमें हर भोजन के बाद अपने बर्तन धोने होते थे। इतने बड़े समूह के लोगों (ध्यान करने वालों) को एक साथ भोजन करते देखना काफी आश्चर्यजनक था वह भी बिना किसी से एक शब्द या इशारा किए। 8.00 से 11.00 बजे फिर सांस पर ध्यान लगाना होता था। बीच- बीच मे 5 मिनट का विश्राम भी करने की इजाजत होती थी। हमारे सांस का हमारे विकारों से गहरा संबंध होता है। जब भी हमे क्रोध आता है, भय जागता है तो हमारी साँसे तेज हो जाती है। इन विकारो के दूर होते ही साँस साधारण गति से चलने लगती है। साँस को देखते-देखते हम अपने विकारों को देख सकते है। ज्यों ही हम ने विकारों को देखना शुरू किया, चित्त की सफाई का काम शुरू हो जाता है। जब हम केवल साँस को देखते हैं तो हमारा संबंध भूतकाल की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से टूट जाता है। इस तरह राग और द्वेष पर हम विजय पाने लगते हैं।

11.00 से 1.00 बजे तक भोजन अवकाश मिला। यही अंतिम भोजन था। संध्या 5.00 बजे चाय और नींबू पानी साधकों को दिया जाता है। शाम 6.00 बजे से 7.00 बजे तक ध्यान के बाद रात्रि 8.30 बजे तक प्रवचन का समय होता था। आधे घंटे के ध्यान के बाद अगर कोई संशय हो तो आप आचार्य से पूछ सकते थे यानी आचार्य से बोलने पर मौन तोड़ सकते थे। पूरे दिन दस घंटे से ज्यादा ध्यान करना होता था। हमें पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए इस समय-सारणी पालन करना था।

दूसरे और तीसरे दिन बताया गया कि निर्मल चित्त के लिए आठ अंगों वाले मार्ग पर चलना होगा। यह मार्ग किसी संप्रदाय का नहीं बल्कि सार्वजनिक है और धर्म से समर्थित है। धर्म को बुद्ध ने जनभाषा मे समझाया था कि यह सभी प्रकार के पापों को न करना, कुशल कर्मों का संपादन करना और चित्त को निर्मल करना है। आठ अंग वाले मार्ग के तीन भाग हैं

1. **शील (सदाचार)** जिसके तीन अंग हैं , सम्यक वाणी ,सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका।

2. **समाधि (मन को वश मे करने के लिए)** जिसके भी तीन अंग हैं सम्यक व्यायाम ताकि मन मे बुराई आने न पाए, सम्यक स्मृति जो वर्तमान क्षण के प्रति जागरूपता है, सम्यक समाधि यानि एकाग्रता और

3. **प्रज्ञा** जिसके दो अंग हैं सम्यक संकल्प यानि हमारा चिंतन मनन, सम्यक दृस्टि यानी जो वस्तु जैसी है, उसे वैसे ही उनके गुण मे देखना।

चौथे दिन से हमें विपश्यना ध्यान सिखाया गया जिसमें हमने शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव किया और उनका अवलोकन किया, चाहे वे अच्छी हों या बुरी और उन्हें केवल बिना किसी द्वेष या लालसा के देखा। यह मन की एक समतापूर्ण स्थिति बनाए रखने और एक अलग आत्मा के रूप में जीवन को प्रकट होते हुए देखने पर केंद्रित था। हम जैसे-जैसे अंतर्मुखी हो कर मन की गहराइयों में प्रवेश करते गए, वैसे-वैसे समझ आने लगता है कि शरीर कितना अनित्य है, प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण भंग होता है। जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, जो 'मैं' नहीं, 'मेरा' नहीं उसके प्रति जितनी आसक्ति है, उतना दुख भी है। यह अनुभूति से समझ में आता है, प्रवचनों से नहीं।

हम यह समझ गए कि अनिच्चा (पाली शब्द) या नश्वरता का अर्थ है कि सब कुछ बीत जाएगा और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अपनी स्थूल और सूक्ष्म संवेदनाओं को आते-जाते देखकर, हम अनिच्चा की घटना में गहराई से उतरते लगे। दिन में कम से कम तीन बार एक-एक घंटे बिना कोई हरकत किए बैठना होता था। पीड़ा होती थी। इस पीड़ा को साक्षी भाव से देखने पर पीड़ा कम होने लगी। पीड़ा को भोक्ता भाव से देखने पर इसका संवर्धन ही होता था। साधना करते वक़्त एक समय ऐसा आया, जैसे मेरा शरीर ही नहीं है सिर्फ़ चेतना ही है। शरीर इतना हल्का हो गया की शरीर का अस्तित्व ही ख़त्म सा हो गया। ऐसा लगा कि शरीर खंड-खंड हो गए हैं और यह सिर्फ अणु ही अणु है। बहुत आनंद की अनुभूति हुई जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है।

साधना के आख़री दिन मंगल मैत्री कराई गई। नौ दिन की साधना के बाद हर साधक अपार करुणा और प्रेम से भर जाता है। मंगल मैत्री का मतलब है कि मेरे द्वारा कमाए हुए पुण्यों का फल सभी को मिले। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस संसार में कोई दुःखी ना रहें।

आख़िरी दिन बोलने की इजाज़त के साथ फ़ोन लौटा दिए गए। जिसको दान देना था, उसने दान दिया और अपने-अपने घर लौट गए। सब को आचार्य जी के फोन नंबर और ई- मेल आई-डी दे दिए गए ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। घर

पर सुबह-शाम एक-एक घंटे ध्यान लगाने की सलाह दी गई। तीन माह बाद दुबारा 10 दिन के शिविर मे भाग लेने की इजाजत है।

विपश्यना ने मुझे अनासक्त भाव तथा समभाव से स्वयं का निरीक्षण करना सिखाया है। ये पता चला कि ख़ुशी कहीं बाहर नहीं है। तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिली। यह अभ्यास अपने विचारों और भावनाओं के प्रति कम प्रतिक्रियाशील बनने और अतीत और भविष्य के चिंतन के अंतहीन चक्र में फंसने से बचने में मदद करता है। इससे मुझे नकारात्मक भावनाओं को कम करने मे मदद मिली।

-भूतपूर्व महाप्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

रचनाकारों से निवेदन

रचनाकारों से निवेदन है कि बैंक द्वारा प्रकाशित की जा रही हिंदी तिमाही पत्रिका "राजभाषा अंकुर" में प्रकाशन हेतु लेख भेजते समय लेख के अंत में अपना नाम, शाखा/ कार्यालय का पता, मोबाइल नंबर तथा अपना बैंक खाता संख्या (14 अंकों का) व आईएफएससी कोड अवश्य लिखें। इसके साथ ही लेख के संबंध में मौलिकता प्रमाण-पत्र और अपना फ़ोटो भी उपलब्ध कराएं। सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य उपरोक्त के अतिरिक्त अपने घर का पता तथा स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) का भी उल्लेख करें।

-मुख्य संपादक

सेवानिवृत्ति

30 अप्रैल, 2024 को बैंक के कार्यपालक निदेशक डॉ. रामजस यादव, बैंक से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 21 अक्तूबर, 2021 को बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। डॉ. रामजस यादव जी को "समावेशी बैंकिंग" पर पुस्तक लिखने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2017 में तथा "कृषि एवं एमएसएमई, आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण योगदान" पर पुस्तक लिखने के लिए भारत के माननीय गृह मंत्री द्वारा वर्ष 2021 में "राजभाषा गौरव पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

लगभग 40 वर्षों की सेवा अवधि के दौरान उन्होनें बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में कार्य किया। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर बैंक में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कार्यपालक निदेशक श्री रवि मेहरा सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

बैंक परिवार आपके सफल, स्वस्थ तथा मंगलमय जीवन की कामना करता है।

राजभाषा उपलब्धि

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक एवं बीमा कंपनी), फरीदाबाद द्वारा सदस्य कार्यालयों के लिए आयोजित राजभाषा उत्कृष्टता पुरस्कार योजना, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंक की शाखा अजरौंदा, फरीदाबाद को शाखा श्रेणी में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। नराकास अध्यक्ष और गृह मंत्रालय-राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री कुमार पाल शर्मा के कर कमलों से शाखा प्रबंधक सुश्री सुमन शर्मा व आंचलिक कार्यालय में पदस्थ राजभाषा अधिकारी श्री अनिल शुक्ला ने पुरस्कार व प्रमाण-पत्र ग्रहण किए।

बैंक की शाखा महाराजपुर (मध्यप्रदेश) को वर्ष 2023-24 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जबलपुर से लगातार दूसरे वर्ष शाखा श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार नराकास अध्यक्ष के कर कमलों से शाखा प्रबंधक श्री सौरभ सिंघई तथा राजभाषा प्रभारी सुश्री सुषमा कौरव ने प्राप्त किया।

वित्तीय समावेशन और भारतीय भाषाएं

वैभव कुमार मिश्र

मानव जीवन में भाषा का स्थान सर्वोपरि है। किसी भी देश की प्रगति और उन्नति का मार्ग उसकी अपनी भाषा के माध्यम से ही प्रशस्त होता है। मनुष्य का अस्तित्व ही भाषा पर टिका हुआ है। भाषा ही मनुष्य को मानव बनाती है अन्यथा मनुष्य और पशु में कोई अंतर न हो। मनुष्य अपने चिंतन-मनन की शक्ति से भाषा के माध्यम से शब्दों को व्यक्त कर सकता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। भाषा किसी भी देश की पहचान और संस्कृति का आधार होती है। भाषा ही देश को दुनिया से जोड़ने की शक्ति रखती है। भाषा आभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं वह हमारे आभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक संस्कृति की पहचान का साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है।

भाषा देश-दुनिया में समस्त आर्थिक और विपणन क्षेत्रों की प्रगति और उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आप यदि कोई भी व्यापार आरंभ करते है तो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है; संबंधित क्षेत्र की भाषा। यदि आप संबंधित क्षेत्र के भाषाई परिवेश में स्वयं को नही ढाल पाते हैं तो आपका व्यापार नही चल सकता क्योंकि यह भाषा ही है जो लोगों को आपसे और आपके व्यापार से परिचित कराती है। विश्व में प्रत्येक देश प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रगति और विकास चाहता है। इसके लिए सर्वप्रथम वह अपनी मूल भाषा के प्रति समर्पण की भावना विकसित करता है। देश में भाषा के विविध पहलुओं पर सदियों से चिंतन-मनन होता रहा है परंतु भाषा आर्थिक प्रगति में कितना योगदान कर सकती है। इस पर न तो ज्यादा ध्यान दिया गया और न ही आर्थिक विकास में इसके योगदान को मापने का कोई पैमाना तैयार किया गया। आज के समय में प्रत्येक ग्राहक किसी भी क्षेत्र की सेवा, अपनी ही भाषा में प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है। सेवा क्षेत्र ग्राहकों पर निर्भर हैं। आपका एक संतुष्ट ग्राहक अपने आप एक विज्ञापनकर्ता बन जाता है और वो अपनी भाषा में ही उसका प्रचार करता है।

वित्तीय समावेशन में भारतीय भाषाओं के योगदान पर चर्चा से पहले वित्तीय समावेशन का अर्थ और इसकी उपयोगिता के साथ-साथ भारतीय भाषाओं के जनसांख्यिकी और प्रासंगिकता को समझना अति आवश्यक है। बैंकिंग के संदर्भ में वित्तीय समावेशन का अर्थ है – बैंकिंग सेवा से दूरस्थ जन जिनकी पहुँच बैंक तक संभव नहीं हो पाई या जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित रह गए हैं, ऐसे व्यक्तियों और व्यवसायों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। इसके अंतर्गत बचत खाते खोलना, ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, भुगतान एवं प्रेषण, बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल है। भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. रघुराम राजन की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित समिति ने वित्तीय समावेशन पर जो परिभाषा व्यक्त की है, उसके अनुसार वित्तीय समावेशन का तात्पर्य लोगों को उचित लागत पर वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक सार्वभौमिक पहुँच उपलब्ध कराना है। इनमें न केवल बैंकिंग उत्पाद, बल्कि अन्य वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा और इक्विटी उत्पाद भी शामिल है।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

1. ऐसे व्यक्ति जिन्हें बैंकिंग सेवा से मिलने वाले लाभ और सुविधा संबंधी कोई जानकारी नहीं है या किसी प्रकार से वह बैंक उत्पाद और लाभ प्राप्त करने में वंचित रह गए हैं। ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाएं से जोड़कर बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाए।

2. बैंकिंग सेवाओं के दायरे से वही अधिकांश लोग बाहर है जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते है। आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित इन जरूरतमंद लोगों की पहुँच वित्तीय उत्पादों तथा अन्य सेवाओं तक हो।
3. देश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मिले।
4. देश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं ऐसी लागत पर उपलब्ध हों जो समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों पर भार न बने। इसका अर्थ यह हुआ कि और वित्तीय सेवाएं सभी को उपलब्ध हो और कम लागत पर उपलब्ध हों ताकि गरीब जन उनका आसानी से उपयोग कर सकें।

वित्तीय समावेशन की आवश्यकता और प्रोत्साहन : वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। वित्तीय समावेशन की आवश्यकता और प्रोत्साहन के कारकों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है :

1. **आर्थिक विकास** : वित्तीय समावेशन के कारण बैंकिंग सेवा क्षेत्र सर्वसाधारण के घरों तक पहुँचकर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं और सेवाओं के माध्यम से पारिवारिक आर्थिक स्थिति को एक नया आयाम मिला है। मानो घोर अंधेरे में उन सभी को प्रकाश की किरण मिली हो, साथ ही वित्तीय सेवाओं के माध्यम से उन सभी में जीवन शैली को स्वस्थ बनाने की सोच भी जगाई गई है। वास्तव में वित्तीय समावेशन की सकारात्मक अवधारणा के माध्यम से आमजन अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं।
2. **गरीबी उन्मूलन** : समाज में अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है, जब उसे आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है और कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। वैसे ही निर्धन समाज में जिनकी ओर कोई मदद की भावना से देखता भी नही था; ऐसे में वित्तीय समावेशन की अवधारणा के माध्यम से बैंक ने उन गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को भी वित्तीय सेवाओं से जोड़कर उनमें भी समाज में अपना सिर उठाकर जीवनयापन करने का आत्मविश्वास जगाया।

3. **रोजगार सृजन** : समाज में प्रत्येक व्यक्ति न तो नेता है, न तो सरकारी कर्मचारी, न ही व्यापारी और न तो डिग्रीधारक शिक्षित व्यक्ति। समाज मे उन जनों की संख्या सर्वाधिक है जो श्रमिक और बेरोजगार युवा हैं। वित्तीय समावेशन से बैंक ने लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण सुविधा और बेरोजगार युवाओं को स्टैंडअप व स्टार्टअप आदि अन्य वित्तीय सहायक सेवाएं प्रदान की है जिनसे सर्व साधारण को जीविकोपार्जन में सहयोग मिला है और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।
4. **महिला सशक्तिकरण** : आज समाज में वित्तीय समावेशन की पहल के परिणामस्वरूप महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में कम नही हैं। स्पष्ट है कि बैंक उत्पाद सभी के लिए समान रूप से सेवा और सुविधा देती है। बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लाभ के परिणास्वरूप महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाई जा सकी है और वह भी अब अपने परिवार की अहम आर्थिक ज़िम्मेदारी उठाने के योग्य हैं जिससे परिवार और समाज में उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।
5. **सामाजिक समानता** : समाज के सभी वर्गों को वित्तीय सेवाओं का लाभ देने से सामाजिक असमानता कम होती है और समाज में समता का विकास होता है।
6. **सुरक्षित बचत और निवेश** : बैंकिंग प्रणाली में भागीदारी से लोग अपनी बचत को सुरक्षित रख सकते हैं और बेहतर ब्याज दरों पर निवेश कर सकते हैं।

वित्तीय समावेशन से न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्ञात हो कि विगत वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है और अनुमान है कि अगले दस वर्षों में भारत विश्व की शीर्ष तीन

आर्थिक शक्तियों की सूची में शामिल हो जाएगा जो अपने मजबूत लोकतंत्र और सुदृढ़ भागीदारी के साथ समर्थित है। आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर जो विकास हुआ है, उससे आम जनता के जीवन स्तर में सुधार आ सका है। अर्थात आर्थिक विकास के अपने लोगों, विशेष रूप से देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन-स्तर में काफी हद तक बदलाव लाया है। किसी भी देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग आर्थिक व्यवस्था में जुड़े और सभी वर्गों की आर्थिक उन्नति हो। समाज के सभी वर्गों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण साधन है। वित्तीय समावेशन सतत और संतुलित आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन है जो आय-असमानता और गरीबी को कम करने में मदद करता है। इसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार और बचत के मूल उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसमें गरीबों, महिलाओं, सीमांत, किसानों, छोटे उद्यमियों जैसे समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता शामिल है।

भारत के नीति-निर्माताओं ने वित्तीय समावेशन के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए इसके महत्व को स्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया गया कि वित्तीय समावेशन पहल के माध्यम से समाज के गरीब और वंचित जनों तक आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाया जाए तथा बड़े स्तर पर लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने की हरसंभव कोशिश की जाए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 1944 में अपने फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र में कहा था कि "दुनिया में यदि किसी भी कोने में गरीबी है तो वह अमीरी के लिए सर्वत्र खतरा है।" रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की बुनियादी जरूरतें हैं और यदि कोई इनसे वंचित है तो संभव कि वह इन्हें जुटाने के लिए अनुचित तरीके अपनाए जो किसी भी सभ्य, संपन्न और शांतिप्रिय समाज के लिये खतरनाक हो सकता है। यदि सरकार के सभी आर्थिक संसाधन इतनी विशाल जनसंख्या के भरण-पोषण की बुनियादी जरूरतों में ही खप जाएंगे तो विकास के लिए धन की कमी हो जाएगी और आगे की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना कठिन हो जाएगा। अतएव यह अत्यंत आवश्यक है कि लोग आत्मनिर्भर और स्वरोजगार द्वारा स्वावलंबी बने। वित्तीय समावेशन का एक अन्य उद्देश्य लोगों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना भी है जिनकी ऊँची ब्याज-दरों के जाल में फँसकर अक्सर उनका जीवन तबाह हो जाता है। सूदखोर साहूकारों द्वारा कमजोर वर्ग का शोषण किया जाता है। वित्तीय समावेशन का एक अन्य उद्देश्य लोगों में बचत की प्रवृत्ति विकसित करना है क्योंकि वे बचत राशि, घर में न रखकर बैंक में जमा करेंगे। एक ओर उन्हें ब्याज मिलेगा, वहीं उनका पैसा भी सुरक्षित रहेगा जो अन्यथा घर में रखने पर चोरी अथवा व्यसन में खर्च हो सकता है।

भारतीय भाषाओं की जनसांख्यिकी : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10000 और उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने के आधार पर लगभग 121 भाषा और 270 मातृभाषाएं है। इनमें संविधान की आठवी अनुसूची में वर्णित कुल 22 भाषाओं के अलावा 99 गैर-अनुसूचित भाषाएं हैं। अधिकतर जनसंख्या प्रथम भाषा के रूप में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करती है और केवल 0.02 प्रतिशत जनसंख्या की प्राथमिक भाषा अंग्रेजी है। इन आंकड़ों से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस देश में इतनी बड़ी तादाद में लोग क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उनसे व्यवहार करने में क्षेत्रीय भाषाओं की कितनी उपयोगिता है।

वित्तीय समावेशन में भारतीय भाषाओं की भूमिका : जन्म के पश्चात शिशु को भाषिक संस्कार उसकी माँ से प्राप्त होते हैं। भाषा से उसका पहला साक्षात्कार उसके लालन-पालन की भाषा से होता है। कानों में पड़ती लोरियों की मधुर ध्वनि उसके भीतर भाषा की समझ विकसित करती है और कागज रूपी बाल मन पर भाषायी चिह्न अंकित होने लगते हैं। वे भाषायी चिह्न आगे चलकर उसकी मातृभाषा का रूप लेते हैं। भारत के अलग-अलग प्रांतों में रहने वालों की मातृभाषा वस्तुतः भारतीय भाषाओं का ही रूप है। इन भाषाओं के लिए ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'निज भाषा' कहा था। "निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल"। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की उपर्युक्त पंक्ति भाषा के आर्थिक पक्ष को उजागर करती है और भाषा तथा वित्तीय समावेशन के बीच एक संबंध उद्घाटित करती है। भारतेन्दु निज भाषा की ताकत को समझते थे, इसलिए उन्होंने इसे सभी प्रकार से प्रकृति का आधार माना था। यह चिर प्रमाणित सत्य है कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही अच्छी तरह से सीख और समझ सकता है। मातृभाषा की इसी महत्ता को देखते हुए कोठारी कमीशन (1964-66) प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा में देने और माध्यमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषाओं में देने की सिफारिश की थी। 29 जुलाई, 2020 को नई शिक्षा नीति में भी प्रारंभिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में देने की बात की गई है।

यदि लोगों को बैंकिंग और वित्त संबंधी जानकारी उनके भाषा में ही दी जाएगी तो वे इनके फायदों को खूब अच्छी प्रकार समझेंगे और स्वेच्छा से इन सुविधाओं का लाभ उठाएँगे। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि सभी लोगों को वित्तीय सेवाओं और संसाधनों तक समान पहुंच हो। भारतीय भाषाओं का इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि भारत में विभिन्न भाषाओं और बोलियों का व्यापक उपयोग होता है जैसे :

1. **समझ और पहुंच** : अधिकतर भारतीय, ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में रहते हैं जहां स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। यदि वित्तीय सेवाएं इन भाषाओं में उपलब्ध हों तो लोग उन्हें आसानी से समझ सकते हैं और उनका उपयोग कर लाभ उठा सकते हैं।
2. **साक्षरता में वृद्धि**:- जब वित्तीय सेवाएं और जानकारी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होती हैं तो लोगों की वित्तीय साक्षरता बढ़ती है। वे बेहतर तरीके से जान पाते हैं कि किस प्रकार बैंकिंग, बचत, बीमा और ऋण सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
3. **तकनीकी का उपयोग** : मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के माध्यम से भी भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कई मोबाइल बैंकिंग एप और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अब कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं जिससे अधिक से अधिक लोग अपनी सहज भाषा के माध्यम का चयन कर इन सेवाओं का का लाभ उठा सकते हैं।
4. **विश्वास और सुगमता** : स्थानीय भाषाओं में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने से लोगों को अधिक विश्वास होता है और वे वित्तीय संस्थानों के साथ अधिक सहजता महसूस करते हैं। यह उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।
5. **वित्तीय सेवाओं की पहुंच** : सरकारी योजनाओं और सब्सिडियों की जानकारी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने से लोगों को इनका लाभ लेने में आसानी होती है।

भारतीय भाषाओं का समुचित उपयोग वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान कर सकता है। बहु जनमानस में भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने और प्रशिक्षण प्रदान करने से लोगों को अपने घर-आंगन जैसे वातावरण का आभास होता है। विभिन्न प्रकार के शोधों से पता चलता है कि अनौपचारिक तरीके से सीखी/ समझी गई चीजे मस्तिष्क में आसानी से घर कर लेती है और स्मृति-पटल पर लंबे समय तक विद्यमान रहती है। गाँव और समाज में हमें तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ अनपढ़, महिलाएं कठिन से कठिन कताई, चुनाई, सिलाई, शिल्प आदि बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के सीख जाती है। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि सीखना-सिखाना उनकी अपनी भाषा में होता है। ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो, ज्ञानार्जन के लिए भाषा चाहिए और भाषा में भी अपनी भाषा चाहिए। प्राय: देखा गया है कि गाँव–देहात के जो छात्र राज्य बोर्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज में प्रवेश लेने पर पिछड़ जाते हैं। पिछड़ जाना उनकी मेहनत अथवा प्रतिभा में कमी की निशानी नही है बल्कि यह भाषायी अवरोध के कारण है। यही बात वित्तीय समावेशन पर भी लागू होती है। यह केवल भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही प्रभावी हो सकता है।

आज यदि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश विनिर्माण क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर हैं और उनके निर्यात दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी है तो इसके लिए एक प्रमुख कारण वहीं निज भाषा में कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है। सामरिक और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इजराइल जैसे छोटे से देश ने जो ऊँचाइयाँ हासिल की है, उसमें बड़ा योगदान उनकी भाषा का है। बैंकिंग कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। यह तो सामाजिक व्यवहार का विषय है और लोगों की दैनिक जीवनचर्या से जुड़ा है। अतएव यदि लोगों को बैंकिंग से जुड़ने और बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग के बारे में उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में जानकारी दी जाएगी तो वे न केवल इनसे जुड़ेंगे, अपितु इनका इष्टतम उपयोग भी करेंगे, जो अंततः समावेशी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्तीय समावेशन अभियान की सफलता वित्तीय साक्षरता पर निर्भर करती है। जब लोग वित्तीय रूप से साक्षर होंगे तभी वे बैंकिंग और बीमा के बारे में जागरूक होंगे और उनका विवेकपूर्ण प्रयोग करेंगे। भारतीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता द्वारा न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है अपितु स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भी साकार किया जा सकता है।

-राजभाषा अधिकारी
आंचलिक कार्यालय लखनऊ

जीवन दर्शन
- विभिन्न पहलू

सुशील कुमार

मनुष्य आदि युग के कठोर आदिम अवस्थाएं पार कर सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनकर आज विज्ञान की विकासशील अवस्था में पहुंचा है और इस विकास की मूल प्रेरणा मनुष्य की आवश्यकता ही रही है। एक आवश्यकता पूरी होने होने पर दूसरी आवश्यकता आकर खड़ी होती है और यही आवश्यकताएं मनुष्य को कर्म करने के लिए निरंतर प्रेरित करती हैं और कर्म करते हुए मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रयास करते हुए अपने विकास पथ पर अग्रसर होता है। ज्यों-ज्यों विकास की गति तेज होती है त्यों-त्यों आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं और हर आवश्यकता कर्म को गतिशीलता प्रदान करती है।

इतिहास साक्षी है कि प्राचीन काल में वर्तमान युग की विभिन्न जातियों के पूर्वज किसी एक जगह पर बसते थे और वहाँ से तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति में वे समूहों में विभक्त होकर भिन्न-भिन्न दिशाओं के लिए रवाना हो जाते थे। जहां कहीं आराम पाया वे वहाँ के स्थायी निवासी हो गए। आज उन्हीं के वंशज भारत, फारस, अरब, जावा, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कैंडीनेविया, जर्मनी आदि देशों में अनेक जातियों में विद्यमान हैं। इतने परिवर्तनों के बीच मनुष्य का विकास अविरत होता रहा।

संसार की परिवर्तनशीलता तो सर्वमान्य है और प्रत्यक्ष भी है कि संसार की किसी भी वस्तु में स्थायित्व नहीं है बल्कि जितने भी पदार्थ हैं सब परिवर्तनीय प्रकृति के हैं। इन्हीं सब की भाँति मानव के भाव भी परिवर्तनशील हैं। भावों की परिवर्तनशीलता सनातन काल से ही है । संयोग मात्र ये है कि ये परिवर्तन आकस्मिक ना होकर इतना धीमा है कि उससे तात्कालिक क्षति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता जबकि भाव परिवर्तन उस समय खटकता भी नहीं।

इतने विकसित समाज में रहकर भी वर्तमान युग में मनुष्य वरिष्ठता और श्रेष्ठता को लेकर, अधिकार और कर्तव्य को लेकर, उचित और अनुचित को लेकर तथा अपने व पराए को लेकर अनेक प्रकार के विवादों से घिरा चुका है। भौतिकता और स्वार्थ का यह विवाद केवल दो व्यक्तियों, दो पुरुषों या दो नारियों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि आजकल इसने अपना प्रभाव मनुष्य जीवन के प्रत्येक पहलू पर जमा लिया है। परिणामतः औरों की बात क्या ही करें, समाज के सबसे परिपक्व रिश्तों में से सर्वश्रेष्ठ पति और पत्नी के रिश्तों में भी परस्पर अधिकारों की होड़ लगी हुई है। कभी-कभी यह होड़ इतनी बढ़ जाती है कि लोग यह भी भूल जाते हैं कि गाड़ी को चलाने के लिए सभी पहियों का समान महत्व है। जिस प्रकार एक पहिए के अभाव में गाड़ी पंगु हो जाती है; एक पल्ले के अभाव में तराजू व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह नर के अभाव में नारी का और नारी के अभाव में नर का जीवन अपूर्ण, निरर्थक और अनुपयोगी हो जाता है। मनुष्य ने अपने विकास के इस लंबे सफर में अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं, कठिनाइयों को दूर करते हुए अपनी समसामयिक विकास की गति को निर्बाध गति से बढ़ाया है किंतु अपने मन के संकुचन को अपने विकास पर हावी होने से रोक नहीं सका।

मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति होने के साथ अपनी विधाओं को एक से दूसरे मनुष्य में फैलाता है। व्यक्ति विशेष इन्हीं मानुषी गुणों के चलते दूसरों को सिखाने या उपदेश देने में अत्यधिक तत्पर रहता है। उपदेश देने में लगता भी कुछ नहीं है लेकिन जो उपदेश व्यक्ति दूसरों को देते हैं, वही उपदेश वो स्वयं जीवन में उतारें तो बहुत बड़ी बात है। जीवन में किसी उपदेश को उतारना अति कठिन कार्य है। जीवन की सार्थकता कर्म में निहित है हम यदि कोई बात अपने जीवन में उतारकर दूसरे से वैसा ही करने को कहें तो उसका दूसरे के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखा यह जाता है कि मनुष्य स्वयं तो निकृष्ट कार्य करता है लेकिन दूसरों को ऊंचे कार्य करने का उपदेश देता है। कहना आसान होता है किंतु किसी कार्य को आत्मसात करना उतना ही कठिन होता है। कहने में कुछ नहीं लगता, मात्र शब्द फेंके जाते हैं। "सत्य बोलो" सभी कहते हैं लेकिन उस 'सत्य' को जीवन में अपनाकर उसके अनुसार कर्म बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। सार्थकता किसी सिद्धान्त को जीवन में उतारने में है। दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है।

साहित्य किसी भी समाज का अपना दर्पण होता है। जिस प्रकार मनुष्य दर्पण के समक्ष खड़ा होकर अपने नैन-नक्श देखता है, ठीक उसी प्रकार किसी समाज या जाति के साहित्य रूपी आइने में उस समाज के रूप का अर्थात उसकी सभ्यता-संस्कृति के दर्शन किए जा सकते हैं। साहित्यकार 'साहित्य' के माध्यम से अपने अंतर्जगत में विद्यमान भावों का प्रकटीकरण करता है। साहित्यकार समाज में जीता है; अतः उससे असंयुक्त होकर वह रह नहीं सकता। जाने-अनजाने में समाज उसे प्रभावित करता ही है। वह यह नहीं कह सकता कि मैं समाज के प्रभाव को ग्रहण नहीं करता हूँ।

साहित्यकार किसी-न-किसी समाज का एक अत्यंत संवेदनशील सदस्य होता है अतः उसके साहित्य में उस समाज का समग्र रूप चित्रित होता है। जब साहित्यकार समाज में दुःख-सुख, रुदन-हास, भय-क्रोध, ईर्ष्या-ग्लानि, ममता, स्नेहादि से प्रभावित होता है तब यह भी आवश्यक है कि वह इन्हें अपनी सृष्टि से अभिव्यक्ति प्रदान करे। साहित्य साहित्यकार के अंतर्मन की प्रतिकृति है। अतः वह चाहते हुए भी उन भावों को प्रकट करने से नहीं बच सकता। साहित्य का आधार समाज के दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं होती हैं। उन्हें ही कुछ नवीनता देकर वह अपना विषय बनाता है। साहित्यकार शून्य में रचना नहीं कर सकता और समाज के प्रभाव से भी नहीं बच सकता। अतः यह स्पष्ट है "साहित्य समाज का दर्पण है।"

दिशाहीन जीवन से ऊबा हुआ मानस सदैव सर्वनाश की कल्पना करता है। पश्चिमी जगत के विज्ञानी और बुद्धिजीवी जिस आधार पर मानव जाति के सर्वनाश की कल्पना करते हैं, उसमें तीन बातें प्रमुख हैं- वायु प्रदूषण, जनसंख्या की बाढ़ और भौतिक साधनों की क्षीणता। वायु प्रदूषण और भौतिक साधनों की क्षीणता के लिए पश्चिम के उद्योग-प्रधान देश ही मुख्य रूप से उत्तरदाई हैं। सारे संसार में साम्राज्य और उपनिवेश का जाल फैलाकर उन्होने बड़ी निर्ममता के साथ निर्बल देशों के प्राकृतिक संसाधनों का अवशोषण किया है। मिट्टी के भाव कच्चा माल लेकर उन्होंने मनमाने भाव पर अपने गुलाम देशों को तैयार माल बेचना शुरू किया, जिससे शोषणात्मक एकपक्षीय मूल्य-नीति पर आधारित अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया। इस अर्थ-नीति के फलस्वरूप पाश्चात्य देश आज भौतिक समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर खड़े हैं।

जिन दिनों जीवन अपेक्षाकृत अधिक गतिहीन था, उन दिनों कथनी और करनी का विरोध उतना उग्र नहीं था लेकिन ज्यों-ज्यों राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की रफ्तार तेज होती गई, इस विरोध की उग्रता भी आधिकारिक तौर पर प्रत्यक्ष होती गई। आज जब हम अणुयुग के दरवाजे पर खड़े हैं तब हमें अपने इस आंतरिक विरोध का दमन करना ही पड़ेगा अन्यथा सर्वनाश अवश्यभावी है। मानव-मन की अतल गहराइयों में हम यदि झांक कर देखें तो वहाँ आज भी गुहामानव की दमित वासनाएं केंचुली मारे बैठी हैं। वाणी उसकी कितनी ही सांस्कारिक क्यों न हो गई हो पर अंतर्गजगत में मैल की परतें और भी मोटी होती रही हैं। हमारे आचरण की तुलना में हमारे उद्गार इतने ऊंचे हैं कि उन्हें सुनकर आश्चर्य होता है। बातें तो हम "वसुधैव कुटुंबकम" की करते हैं परंतु काम हमारे कुछ और होते हैं। सिद्धान्त तो सहिष्णुता का बघारते हैं लेकिन व्यवहार में हम चाहते हैं कि दूसरे भी वही सोचें, जो हम सोचते हैं- हमारा नेतृत्व और श्रेष्ठता बेझिझक स्वीकार करें। यह खतरे की स्थिति में है और यह खतरा बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा अवसर की ताक में है ।

-प्रबंधक (राजभाषा)
आंचलिक कार्यालय जयपुर

वर्तमान समय में सोशल मीडिया

मनीषा खटीक

सोशल मीडिया मूल रूप से कंप्यूटर या मानव संचार या सूचना के आदान-प्रदान करने से जुड़ा हुआ है। किसी को कोई जरूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनाना, किसी को या आपको बताई गई बात सब सूचना कहलाती है। सोशल मीडिया अब संचार का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। इसने दुनिया में बड़ी ही तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। सोशल मीडिया आपके विचारों, सूचना और समाचार इत्यादि को बहुत तेजी से एक-दूसरे से साझा करने में सक्षम है। एक बटन दबाने पर ही हमारे पास बहुत ही आसानी से किसी भी प्रकार की सूचना को पहुंचा देता है। कम्युनिटी ब्लॉग, डिस्कशन ब्लॉग, शेयरिंग इकॉनमी नेटवर्क्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल रिव्यु साइट, इमेज शेयरिंग साइट, विडियो होस्टिंग साइट इत्यादि सोशल मीडिया के प्रकार कहे जा सकते हैं। आज के दौर में यह हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है जिसके बहुत सारे फीचर है। इसमें सूचनाएं प्रदान करना, मनोरंजन करना और शिक्षा प्रदान करना मुख्य रूप से शामिल है। इसकी इसी अहमियत/ विशेषताओं को देखते हुए प्रतिवर्ष 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मनाया जाता है। लोगों के बीच सरकारी योजनाओ के बारे में जागरूकता फ़ैलाने के लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा आज की पारिस्थिति के अनुसार भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के स्थान पर डिजिटल बैंकिंग और अन्य डिजिटल वित्तीय सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और लाखों लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया इसमें सबसे महत्वपूर्ण चैनल है जो सभी बैंकों के लिए ग्राहक संबंध बनाने के लिए बहुत जरूरी माध्यम प्रदान करता है।

आज के दौर में सूचना दोधारी तलवार के समान हो गई है। एक ओर इसका उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जा रहा है तो दूसरी ओर इसका प्रयोग भ्रम फैलाने में भी किया जा रहा है। सूचना क्राँति के इस आधुनिक दौर में सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति में सूचना क्राँति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है किंतु सूचना क्राँति की ही उपज, सोशल मीडिया को लेकर उठने वाले सवाल भी महत्त्वपूर्ण हैं। ये सवाल हैं- क्या सोशल मीडिया हमारे समाज में ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न कर रहा है तथा समाज की प्रगति में सोशल मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए?

हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हम सूचना के न केवल उपभोक्ता है बल्कि उत्पादक भी हैं। यही अंतर्द्वंद हमें इसके नियंत्रण से दूर कर देता है। प्रतिदिन करोड़ों लोग फेसबुक का उपयोग अपनी निजी जीवन में प्रयोग करते है। हर सेकेंड ट्वीटर पर ट्वीट किये जाते हैं और इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें और विडियो पोस्ट की जाती हैं। कुछ लोग तो अपने जीवन की प्रत्येक

गतिविधियों को सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं एवं उसे अपने मित्रों के साथ साझा करते हैं। उन्हें इस प्रकार के अपडेट नियमित रूप से साझा करने के लिए फिर नियमित रूप से ऐसे काम भी करने पड़ते हैं चाहे उसकी जरूरत हो या न हो। वे अपने कंटेंट खुद बनाकर उन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नियमित रूप से अपलोड करते है। कुछ लोग तो इसके द्वारा अपने लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कर आय भी कर रहे हैं लेकिन सभी को इसमें सफलता नहीं मिलती, जिन्हें इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाई वे अवसाद से ग्रसित हो गए हैं। कई बार हमें ऐसी घटनाओं के विषय में सुनने को मिलता है जिसमे किसी सोशल मीडिया के यूजर का किसी विशेष प्रकार के फोटोग्राफी या वीडियो बनाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अतः सोशल मीडिया का यह भी एक गंभीर प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा है।

शिक्षा के क्षेत्र में तो सोशल मीडिया ने एक नई क्राँति को जन्म दे दिया। शिक्षा में सोशल मीडिया का उपयोग छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त करने, शिक्षण समूहों और अन्य शैक्षिक प्रणालियों से जुडने में मदद करता है जो शिक्षा को सुविधाजनक बनाते हैं। सोशल मीडिया टूल छात्रों और संस्थानों को सीखने के नए तरीकों को बेहतर बनाने के कई अवसर प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया वीडियो कॉल द्वारा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ संवाद करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जो सीखने की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ संवाद करने के लिए वीडियो कॉल का प्रयोग कर दूर दराज, कस्बों, विभिन्न शहरों, गाँव में बैठे अपने छात्र के साथ संवाद कर सकते हैं, यह सुविधा सोशल मीडिया प्रदान करता है। सोशल मीडिया ने छात्रों को ऐसे संसाधन प्रदान कर दिए जिनका उपयोग वे निबंध, प्रोजेक्ट और प्रस्तुतियाँ बनाने में करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सोशल मीडिया ने बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जो कभी असंभव प्रतीत होती थी, सोशल मीडिया ने बड़े ही सरलता के साथ उन सभी असुविधाओं को संभव बनाया है।

सोशल मीडिया के बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी हैं जिनसे हम लाभान्वित हो सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग जो कि अतीत में बड़ी ही मुश्किल हुआ करती थी, किसी नए उत्पाद को जनता से रू-बरू कराने के लिए उत्पादक या वस्तु को जनता तक पहुँचाने के लिए ढेर सारे पैसे खर्च कीजिये या उसकी खूब ब्रांडिंग कीजिए, परंतु ये सभी बड़े ही ख़र्चीले माध्यम थे। आज यह मार्केटिंग एवं विज्ञापन बड़ा ही सरल हो गया है। यदि किसी के पास मार्केटिंग करने के लिए फंड न हो हो वह सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर आसानी से लाखों संभावित ग्राहकों तक बिना किसी प्रकार का खर्च किए अपनी पहुँच स्थापित कर सकता है एवं अपने ग्राहकों को अपने उत्पाद से परिचित करा सकता है। आज हमें यह देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया खुद में ही एक खुले बाजार के रूप में है। जहां उत्पाद की बिक्री बड़ी ही सरलता से की जा रही है। इससे छोटे – छोटे व्यापारियों को बड़ा ही लाभ हुआ है। बिना किसी के सहयोग से छोटे व्यापारियों ने सीधे – सीधे अपने ग्राहकों तक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री करनी शुरू की है जिसका उन्हें लाभ हुआ है।

सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करने के संदर्भ में सोशल मीडिया को एक बेहतरीन उपकरण माना जाता है। इसके द्वारा समान विचारधारा वाले लोगों के साथ संपर्क भी स्थापित किया जा सकता है। अपनी बातों को कम समय में तीव्र गति से अधिकतम लोगों तक पहुँचाने के लिये यह एक सर्वश्रेष्ठ साधन बन चुका है।

सोशल मीडिया को शिक्षा प्रदान करने के संदर्भ में एक बेहतरीन साधन माना जा रहा है। इसके द्वारा ऑन-लाइन जानकारी का तेजी से हस्तांतरण होता है। इसके द्वारा ऑनलाइन रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही व्यवसाय,

चिकित्सा, नीति निर्माण को प्रभावित करने में भी इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान समय में शिक्षक एवं छात्रों द्वारा फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आदि जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा शिक्षक एवं छात्रों के मध्य दूरी सिमट कर कम हो गई है। प्रोफेसर स्काइप, ट्विटर और अन्य जगहों पर इसके मदद से लाइव चैट, लेक्चर करते हैं। सोशल मीडिया के कारण शिक्षा आसान हो गई है।

एक बड़ा भाग यह भी मानता है कि सोशल मीडिया लोगों में तनाव और चिंता के प्रसार का एक सबसे बड़ा कारण है। सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से सोने की आदतों में बदलाव, साइबर अपराध, बच्चों के प्रति लगातार बढ़ते दबाव और एक प्रभावशाली प्रोफाइल युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है। इसमें अत्यधिक व्यस्तता के कारण अन्य कार्यों के लिये बहुत कम समय बचता है एवं अन्य गंभीर मुद्दों की उत्पत्ति होती है जैसे ध्यान कम लगना, चिंता एवं ऐसे ही अन्य मुद्दे। इसके अत्यधिक प्रयोग एवं गोपनीयता से निजता में कमी आती है। यह उपयोगकर्ता को साइबर अपराधों जैसे हैकिंग, पहचान संबंधी चोर फिशिंग अपराधों आदि के प्रति संवेदनशील बनाता है।

सोशल मीडिया की साइट्स उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाती है। उदाहरणस्वरूप ट्विटर नियमित रूप से उन लोगों के अनुसरण हेतु प्रेरित करता है जो हमारे समान दृष्टिकोण रखते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण लोगों के सोचने का दायरा संकुचित होता जा रहा है। अगर सोशल मीडिया के मूल अर्थ की बात की जाए तो कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से किसी भी मानव संचार या इंटरनेट पर जानकारी साझा करना सोशल मीडिया कहलाता है। इस प्रक्रिया में कई वेबसाइट एवं एप का योगदान होता है। सोशल मीडिया वर्तमान समय में संचार के सबसे बड़े साधन के रूप में उभर कर आया है और दिनोंदिन इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है।

सोशल मीडिया द्वारा विचारों, सामग्री, सूचना और समाचार को तीव्र गति से लोगों के बीच साझा किया जा सकता है। सोशल मीडिया को एक तरफ जहाँ लोग वरदान मानते हैं तो दूसरी तरफ लोग इसे एक अभिशाप के रूप में भी देखते हैं।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी कई रूपों में किया जा रहा है। इसके जरिए न केवल सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी गलत जानकारियाँ आम जनता तक पहुँचाई जा रही है। इससे समाज में हिंसा को तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ ही यह हमारी सोच को भी नियंत्रित करता है।

सोशल मीडिया का युवा वर्ग पर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान समय में युवाओं को सोशल नेटवर्किंग साइट की लत लग गई है। सोशल वेबसाइट पर कई बार स्टेटस अपडेट करना, घंटों तक मित्रों से चैटिंग करना जैसी आदतों ने युवा पीढ़ी को काफी हद तक प्रभावित किया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने लोगों को वास्तविकता से हटकर एक कृत्रिम जीवन में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। विभिन्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में प्रभावी दिखने के लिए दुनिया की पूरी आबादी एक बहुत बड़ा वर्ग दोहरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं जिससे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे एप पर वे प्रभावी दिखें एवं उनके फॉलोवर की संख्या में वृद्धि हो। यह बड़ी ही भयानक स्थिति है, इसके लिए युवा बिना सोचे समझे कुछ भी करने की ओर अग्रसर हो रहे है।

सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हजारों लोगों तक पहुँचा सकता है परंतु सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इसे एक खतरनाक उपकरण के रूप में भी स्थापित कर दिया है जिसके कारण इसके विनियमन की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। अतः आवश्यक है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर नए विकल्पों की खोज की जाए ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों से बचा जा सके। इस प्रकार हमारा युवा वर्ग सोशल मीडिया की अच्छी विशेषताओं को अपनाकर उसके विविध माध्यमों का उपयोग कर अपने व्यक्तित्व में सुधार कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी रचनात्मकता दुनिया के समक्ष उद्घाटित होगी। इसके बाद ही सोशल मीडिया को समाज के प्रगति के कारक के रूप में ही मानना उचित प्रतीत होगा।

-वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
आंचलिक कार्यालय चेन्नई

अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

बैंक के किदवई नगर, दिल्ली स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में अग्नि सुरक्षा के मॉक ड्रिल का आयोजन किया। कार्यक्रम में आग बुझाने के अग्निशामक यंत्र, फायर टेंडर, रेस्क्यू कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति या आग से बचाव की प्रक्रिया के लिए सभी को जागरूक करना था। बैंक कार्मिकों को अग्निशामक यंत्रों की जानकारी दी गई और उनके उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक डॉ. रामजस यादव तथा अन्य महाप्रबंधक उपस्थित रहे।

PSB UniC
You & I Connected

बड़ी बचत, बड़े लाभ

पीएसबी उद्यम
चालू खाता

प्लेटिनम | गोल्ड | सिल्वर

विशेषताएं

- निःशुल्क चेक बुक/ डीडी/ एनईएफटी/ आरटीजीएस सुविधा
- फ्लेक्सी सुविधा (स्वतः स्वीप-इन व स्वीप-आउट)
- निःशुल्क भारत/ यूपीआई क्यूआर कोड संस्थापन
- पीओएस किराए में छूट*
- निःशुल्क लॉकर किराया सुविधा*
- निःशुल्क प्रीमियम डेबिट कार्ड आकर्षक सुविधाओं के साथ
- सेवा प्रभारों में आकर्षक ऑफर

पीएसबी जीएसटी ईज ऋण

(एमएसएमई ऋण उत्पाद)

हमारे लोकप्रिय सावधि जमा उत्पाद के साथ आपकी बचत पर उच्च लाभ

पीएसबी धन लक्ष्मी

444 दिन

अधिक जानकारी के लिए हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें,
हमारी वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in देखें

1800 419 8300 (टोल फ्री)

हमारा अनुसरण करें @PSBIndOfficial